



भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India

शिष्टाचार और सुरक्षा अनुभाग/P&S Establishment

बेंगलुरु/ Bengaluru

भारतीय रिज़र्व बैंक बेंगलुरु और बैंक के कर्मचारी कॉलोनियों में निजी सुरक्षा सेवा कर्मियों (अशस्त्र निजी सुरक्षा गार्ड / सुरक्षा सुपरवाइजर) के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-टेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक के परिसर और बैंक की कर्मचारी कॉलोनियों में निजी सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर की तैनाती के लिए दो-बिड प्रणाली [भाग-I (तकनीकी बिड) और भाग-II (वित्तीय बिड)] के तहत ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर टेंडर लिंक देखें <https://www.rbi.org.in>.

2. MSTC पर ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि (<https://www.mstcecommerce.com>) 24 फरवरी, 2026 (1000 बजे) है। टेंडर समिति द्वारा टेंडर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से उद्घाटन 24 फरवरी, 2026 को 1100 बजे पी एंड एस, आरबीआई, 10/3/8, नृपतुंग रोड, बेंगलुरु 560001 पर टेंडरकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों (जो उपस्थित रहना चाहते हैं) की उपस्थिति में किया जाएगा। यदि उद्घाटन के दिन कोई अवकाश होता है, तो टेंडर अगले कार्यदिवस को समान समय पर खोले जाएंगे, लेकिन टेंडर 24 फरवरी, 2026 (1000 बजे) को बिडिंग के लिए बंद हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर निर्धारित है। फैक्स/ई-मेल/टेलीफोन द्वारा कोई भी टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक के पास किसी भी या सभी टेंडरों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,

बेंगलुरु

अस्वीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, बेंगलुरु के शिष्टाचार एवं सुरक्षा अनुभाग द्वारा इस दस्तावेज़ की तैयारी रुचि रखने वाले पक्षों को अनुबंध के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करने के लिए की गई है। जबकि आरबीआई ने इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी की तैयारी में उचित देखभाल की है और इसे सही मानता है, तथापि आरबीआई या इसके किसी भी अधिकारी या एजेंसी, या उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई भी वारंटी या प्रतिनिधित्व, स्पष्ट या निहित, नहीं दिया जाता है।

यह जानकारी व्यापक नहीं है। रुचि रखने वाले पक्षों को अपनी अपनी जांच करनी होगी और प्रतिवादी लिखित रूप में पुष्टि करने के लिए बाध्य होंगे कि उन्होंने ऐसा किया है और वे टेंडर प्रस्तुत करते समय आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर मात्र निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह आरबीआई या इसके किसी भी अधिकारी या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

आरबीआई को अनुबंध के साथ आगे न बढ़ने या अनुबंध के विन्यास में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में प्रतिबिंबित समय सारणी में परिवर्तन करने या लागू किए जाने वाले प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यह अपने साथ रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा न करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रकार की लागत का कोई भी मुआवजा रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा।



भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India

शिष्टाचार और सुरक्षा अनुभाग/P&S Cell

बैंगलुरु/ Bengaluru

आरबीआई बैंगलुरु और बैंक के कर्मचारी कॉलोनिजों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) के लिए
वार्षिक सेवा अनुबंध बैंगलुरु में

विषय सूची

अनुभाग /अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ संख्या
भाग I		
	निविदा आमंत्रण (NIT)	4
अनुभाग I	निविदा कार्यक्रम (SOT)	5
अनुभाग-II	ई-निविदा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश	7
अनुभाग III	बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश	11
अनुभाग-IV	मूल्यांकन/चयन मानदंड	22
अनुभाग-V	समझौता लेख	24
अनुलग्नक-I	कार्य और सेवाओं का क्षेत्र	40
अनुलग्नक-II	आवश्यक सुरक्षा कर्मियों और पेट्रोल गार्ड टूर के विवरण	44
अनुलग्नक-III	अनुबंध की शर्तें और प्रावधान	46
अनुलग्नक-IV	दंड खंड	73
अनुलग्नक-V	फॉर्म-I तकनीकी बोली	77
अनुलग्नक-VI	तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय बोलियों संबंधी सामान्य निर्देश	79
अनुलग्नक-VII	निविदा कंपनी / फर्म के विवरण	86
अनुलग्नक-VIII	बैंकों का विवरण	88
अनुलग्नक-IX	तकनीकी मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट	89
अनुलग्नक-X	ग्राहक प्रमाणपत्र	91
अनुलग्नक-XI	बैंकर प्रमाणपत्र	93
अनुलग्नक-XII	बैंकों के विवरण-II	94
अनुलग्नक-XIII	पिछले अनुभव के विवरण	96
अनुलग्नक-XIV	मूलभूत जानकारी और पात्रता का मूल्यांकन	97
भाग II		
अनुलग्नक-XV	वित्तीय बोली	101



भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India

शिष्टाचार और सुरक्षा अनुभाग/P&S Cell

बेंगलुरु/ Bengaluru

आरबीआई बेंगलुरु और बैंक के कर्मचारी कॉलोनियों में निजी सुरक्षा सेवा कर्मियों (अशस्त्र निजी सुरक्षा गार्ड / सुरक्षा सुपरवाइजर) के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-टेंडर

भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

टेंडर आमंत्रित करने का नोटिस (NIT)

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), बेंगलुरु स्थित आरबीआई और बैंक के कर्मचारी कॉलोनियों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) की आपूर्ति के लिए दो-बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के तहत ई-टेंडर आमंत्रित करता है। अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, अर्थात् 01 अप्रैल, 2026 से, और दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति और सेवा प्रदाता / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता(ओं) के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर दो अतिरिक्त वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है।

2. टेंडरकर्ताओं को ई-टेंडर संबंधी निर्देशों के अनुसार, सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ, सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप से **24 फरवरी, 2026 (1000 बजे) तक** जमा करना होगा। टेंडरकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप के अनुसार, सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव के साथ ₹7,10,991/- की वापसी योग्य ईएमडी जमा करनी होगी। तकनीकी बिड इलेक्ट्रॉनिक रूप से **24 फरवरी, 2026 (1100 बजे)** को खोली जाएंगी। यदि उपरोक्त किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस लागू होगा।

3. टेंडर दस्तावेज़ वेबसाइट www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस टेंडर से संबंधित किसी भी संशोधन / सुधार / स्पष्टीकरण को केवल वेबसाइट / ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। टेंडरकर्ताओं को उपरोक्त वेबसाइट / ई-पोर्टल पर किसी भी संशोधन / सुधार / स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। बैंक को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी टेंडरों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक,

10/3/8, नृपतुंग रोड,

बेंगलुरु 560001

अनुभाग-I

टेंडर की अनुसूची (SOT)

(केवल ई-प्रक्रिया के माध्यम से)

a. विभाग का नाम	शिष्टाचार एवं सुरक्षा अनुभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु
b. ई-टेंडर संख्या:	RBI/Bangalore Regional Office/HRMD/5/25-26/ET/848
c. ई-टेंडर का नाम	आरबीआई बेंगलुरु और बैंक के कर्मचारी कॉलोनियों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर) के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध।
d. टेंडर की विधि	ई-प्रक्रिया प्रणाली ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - वित्तीय बोली https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/) के माध्यम से)
e. टेंडर का अनुमानित मूल्य (कर सहित)	₹3.55 करोड़
f. NIT की उपलब्धता की तारीख, जिसे पक्ष डाउनलोड कर सकते हैं	14 जनवरी, 2026 1200 बजे
h. प्री-बिड मीटिंग की तारीख, पी&एस, आरबीआई बेंगलुरु में	10 फरवरी, 2026 1000 बजे
g. टेक्नो-कॉमर्शियल बोली और वित्तीय बोली के लिए MSTC पर बोली शुरू करने की तारीख	14 जनवरी, 2026 1200 बजे
i. ईमानदारी धन जमा (EMD)	₹7,10,991/-, (सात लाख दस हजार नौ सौ इक्यानवे रुपये मात्र) NEFT / RTGS के माध्यम से: लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु लाभार्थी खाता संख्या: 8692299 IFSC: RBIS0BGPA01 (5वां और 10वां अक्षर अंक हैं) <u>P</u> EMD जमा करने के सबूत को MSTC पोर्टल पर अपलोड करना होगा
j. EMD जमा करने की अंतिम तिथि	23 फरवरी, 2026 1700 बजे तक
k. ऑनलाइन ई-टेंडर के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और	24 फरवरी, 2026 को 1000 बजे तक

वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि	
l. भाग-I (अर्थात् तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय	24 फरवरी, 2026 को 1100 बजे
m. भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि एवं समय	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं की खोली जाएगी जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, बेंगलुरु द्वारा स्वीकार्य पाई गई हो। भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि बोलीदाताओं द्वारा दिए गए उनके वैध ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से सूचित की जाएगी।
n. लेनदेन शुल्क	MSTC पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान MSTC भुगतान गेटवे के माध्यम से MSTC लिमिटेड के पक्ष में करना होगा।

अनुभाग-II

ई-टेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु का एक ई-खरीद प्रक्रिया कार्यक्रम है। ई-खरीद सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले टेंडर आमंत्रण सूचना और उसके बाद के कोरिजेंडम, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

1. **पंजीकरण:** यह प्रक्रिया एमएसटीसी ई-खरीद पोर्टल के साथ विक्रेता के पंजीकरण से संबंधित है, जो **मुफ्त** है। केवल पंजीकरण के बाद, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों के लिए इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास क्लास-III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को अपने आप इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत कंप्यूटर से बोली लगाने की व्यवस्था करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई, बेंगलुरु ऐसी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल ऑनलाइन जमा की जानी है https://www.mstcecommerce.com/eprchome/rbi/buyer_login.jsp पर

(a) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com → eProcurement → PSU / Govt.Depts → RBI पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें, विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें।

(b) विक्रेताओं को उनके ईमेल पर एक सिस्टम द्वारा उत्पन्न मेल मिलेगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा, जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया था।

यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, बेंगलुरु से संपर्क करें (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले)।

MSTC संपर्क व्यक्ति

- i) श्री जे. दामोदरन, शाखा प्रबंधक: 080-22287356 / 9841002253
(jdmodaran@mstcindia.co.in)
 - ii) रवींद्रनाथ, 76764 56095
 - iii) अर्णब सरकार 9986036012
 - iv) गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए)- mstceproc@gmail.com
 - v) MSTC केंद्रीय हेल्पडेस्क नंबर: 033-23400020/23400021/23400022
- ईमेल: helpdesk@mstcindia.co.in

आरबीआई बेंगलुरु में संपर्क व्यक्ति

- (i) अनुपमा महाराम यादव, शिष्टाचार और सुरक्षा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक,
ईमेल: securityblr@rbi.org.in, फोन नं.: 080-22180500
- (ii) श्री अभिनित चि. शांतप्पा, सहायक, शिष्टाचार और सुरक्षा अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक,
ईमेल: securityblr@rbi.org.in फोन नं.: 080-22180277

2. सिस्टम आवश्यकताएं:

- (a) विंडोज एक्सपी-एसपी3 और उससे ऊपर / विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
- (b) आईई-7 और उससे ऊपर इंटरनेट ब्राउज़र
- (c) हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर
- (d) जेआरई-7 अपडेट 9 और उससे ऊपर सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए।
- (e) डीएससी को साइनर बॉक्स में दिखाने के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।
- टूल्स > इंटरनेट विकल्प > सुरक्षा > सुरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है - अर्थात्, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" वाले बॉक्स से टिक चिह्न हटाएं। अन्य सेटिंग्स:
 - टूल्स > इंटरनेट विकल्प > सामान्य > "ब्राउज़िंग इतिहास/ ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें > अस्थायी इंटरनेट फाइलें > "हर बार मैं वेबपेज पर जाऊं" को सक्रिय करें।
- (f) टूल्स > इंटरनेट विकल्प > कस्टम लेवल में सभी एक्टिव एक्स नियंत्रण सक्षम करें और 'पॉप-अप ब्लॉकर का उपयोग करें' अक्षम करें (एक बार वेबपेज www.mstcecommerce.com से आईई सेटिंग्स चलाएं)
- (g) अधिक विवरण के लिए, विक्रेता सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता गाइड और एफएक्यू को www.mstcecommerce.com/eprochome पर देख सकते हैं।
3. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करना होगा। टेंडर निर्धारित तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोले जाएंगे, जैसा कि टेंडर में दिया गया है।
4. टेंडर में सभी प्रविष्टियां ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय/मूल्य प्रारूपों में बिना किसी अस्पष्टता के दर्ज की जानी चाहिए।
5. **लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट:** विक्रेताओं को "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को घटना ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट टेंडर का चयन करना होगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता

एक फॉर्म भरकर चालान उत्पन्न करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता चालान पर छपे विवरणों के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि जमा करेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा रखेंगे। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अनुमोदित हो जाएगा और सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता को एक सिस्टम द्वारा उत्पन्न मेल प्राप्त होगा।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान बहुत पहले कर दें ताकि वे अपनी बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय रख सकें।

6. टेंडर/सुधार के बारे में जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से टेंडर के अंतिम निर्धारण तक की प्रक्रिया के दौरान भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी, जो एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान किया गया था, वैध और अपडेटेड है। विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।

7. ई-टेंडर को एनआईटी (टेंडर आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित दिनांक और समय के बाद एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

8. ई-टेंडर में बोली लगाना:

(a) विक्रेताओं को ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आवश्यक ईमानदारी धन (ईएमडी) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अपरिवर्तनीय है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेताओं के ईएमडी को टेंडर आमंत्रण करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस किया जाएगा।

(b) यह प्रक्रिया तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने से संबंधित है।

(c) लेनदेन शुल्क जमा करने वाले विक्रेता ही एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → eprocurement → PSU/Govt. Depts → Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।

(d) सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बोली फ्लोर खोलने के तुरंत बाद करना होगा। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने और उन्हें सहेजने की आवश्यकता है। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन चलाया नहीं जाता है, तो सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता अपनी तकनीकी बोली सहेज या जमा नहीं कर पाएंगे।

(e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार यह कर लेने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे

भरना चाहिए और फिर विक्रेता को ' सेव ' पर क्लिक करना चाहिए ताकि उनकी वित्तीय बोली दर्ज हो सके। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सहेज ली जाएं, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता ' अंतिम सबमिशन ' बटन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि उनकी बोली दर्ज हो सके।

(f) विक्रेताओं को दस्तावेज अपलोड करने के लिए ' अटैच डॉक ' बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। एकाधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

(g) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय अपना आईडी और पासवर्ड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए।

(h) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अज्ञात रहेंगे और अन्य सभी के लिए भी।

(i) ई-टेंडर फ्लोर घोषित तिथि और समय से खुला रहेगा और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

(j) ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति खरीदार और सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के बीच आपूर्ति के निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।

(k) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(l) खरीदार को पूर्ण या आंशिक रूप से टेंडर को रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार है, बिना किसी कारण के।

(m) टेंडर दस्तावेज की शर्तों और नियमों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। ई-टेंडर फ्लोर में किसी भी विक्रेता द्वारा बोली जमा करना उसकी टेंडर के लिए शर्तों और नियमों को स्वीकार करने की पुष्टि करता है।

8. इस टेंडर से उत्पन्न किसी भी आदेश को उसमें उल्लिखित शर्तों और नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

9. तकनीकी और वित्तीय शर्तों और नियमों में कोई विचलन अनुमत नहीं है।

10. टेंडर आमंत्रण करने वाले प्राधिकरण को इस ई-टेंडर को रद्द करने या बोली जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार है, बिना किसी कारण के।

11. विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता गाइड पढ़ें और www.mstcecommerce.com/eprochome पेज पर वीडियो देखें ताकि बोली लगाने से पहले वे सिस्टम से परिचित हो सकें।

बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश (ITB)

खंडों की सूची

- | | |
|-----------|---|
| क. | सामान्य |
| 1. | टेंडर का दायरा |
| 2. | प्रतिबंधित अभ्यास |
| 3. | योग्य टेंडरदाता / योग्यता मानदंड |
| B. | टेंडर दस्तावेज की सामग्री |
| 4. | टेंडर दस्तावेज के अनुभाग |
| 5. | टेंडर दस्तावेज की स्पष्टीकरण |
| 6. | टेंडर दस्तावेज का संशोधन |
| C. | टेंडर की तैयारी |
| 7. | टेंडरिंग की लागत |
| 8. | टेंडर का गठन करने वाले दस्तावेज |
| 9. | ईएमडी के रूप में टेंडर सुरक्षा और लेनदेन शुल्क |
| 10. | टेंडर पत्र |
| 11. | टेंडरदाता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज |
| 12. | विभाग का दौरा |
| 13. | टेंडर की वैधता अवधि |
| D. | टेंडर का प्रस्तुतीकरण और खोलना |
| 14. | टेंडर का प्रस्तुतीकरण, सीलिंग और अंकन |
| 15. | टेंडर प्रस्तुत करने की समय सीमा |
| 16. | प्रति बोलीदाता एक बोली |
| 17. | देर से प्रस्तुत टेंडर |
| 18. | टेंडर खोलना |
| E. | टेंडर की जांच |

- 19. गोपनीयता
- 20. टेंडर की स्पष्टीकरण

F. टेंडर मूल्यांकन और तुलना

- 21. टेंडर का मूल्यांकन
- 22. टेंडरदाता की योग्यता
- 23. बैंक का अधिकार किसी भी टेंडर को स्वीकार करने और किसी या सभी टेंडर अस्वीकार करने का

G. अनुबंध का आवंटन

- 24. आवंटन मानदंड
- 25. आवंटन की सूचना
- 26. अनुबंध पर हस्ताक्षर
- 27. प्रदर्शन सुरक्षा

बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश (ITB)

ए. सामान्य	
1. टेंडर का क्षेत्र और सामान्य जानकारी	<p>1.1 बैंक योग्य और प्रतिष्ठित टेंडरकर्ताओं से ई-टेंडर आमंत्रित करता है जो आरबीआई बेंगलुरु और बैंक के कर्मचारी कॉलोनियों में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर) के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए सुरक्षा सेवा एजेंसी के चयन प्रक्रिया में भाग लें।</p> <p>अनुबंध का अनुमानित मूल्य प्रति वर्ष ₹3.55 करोड़ है (कर सहित)। कार्य की विस्तृत शर्तें और प्रावधान इस टेंडर दस्तावेज के अनुभाग-2 में दिए गए हैं।</p> <p>1.2 सुरक्षा एजेंसी की सेवाओं की आवश्यकता बैंक के निम्नलिखित संपत्तियों के लिए है:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) आरबीआई अधिकारी क्वार्टर्स कनिंघम रोड (b) आरबीआई अधिकारी क्वार्टर्स कनिंघम क्रेसेंट रोड (c) आरबीआई अधिकारी क्वार्टर्स, नेशनल गेम्स विलेज, कोरमंगला (d) आरबीआई कर्मचारी क्वार्टर्स, आरपीसी लेआउट, विजयनगर (e) आरबीआई कर्मचारी क्वार्टर्स, ओसबोर्न रोड (f) आरबीआई कर्मचारी क्वार्टर्स, नंदिनी लेआउट (g) आरबीआई मुख्य कार्यालय भवन <p>1.3 कार्य के क्षेत्र और सेवाओं के बारे में अधिक विवरण, सुरक्षा कर्मियों/पेट्रोल गार्ड टूर प्रणाली के विवरण जो सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, <u>अनुबंध</u> में विस्तार से दिए गए हैं।</p> <p>1.4 आवश्यक सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड की संख्या के विवरण <u>अनुबंध-II</u> में दिए गए हैं। बैंक को अस्त्र या बिना अस्त्र के आवश्यक सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि/कमी करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>
2. निषिद्ध अभ्यास	<p>2.1 बैंक आवश्यकता करता है कि टेंडरकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखते हैं, अनुबंध/नियुक्ति की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुपालन में, बैंक:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) इस प्रावधान के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित शब्दों को निषिद्ध अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है:

	<p>(i) “भ्रष्ट अभ्यास” का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी मूल्य की चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या मांगना;</p> <p>(ii) “धोखाधड़ी का अभ्यास” का अर्थ है किसी भी कार्य या अनुपस्थिति, जिसमें गलत प्रतिनिधित्व शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयास करता है, वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए;</p> <p>(iii) “बलपूर्वक अभ्यास” का अर्थ है किसी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाना या क्षति पहुंचाने की धमकी देना, जिससे किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित किया जा सके; और</p> <p>(iv) “मिलीभगत का अभ्यास” का अर्थ है दो या अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो किसी अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;</p> <p>(b) यदि यह निर्धारित करता है कि टेंडर के लिए प्रस्तावित टेंडरकर्ता ने टेंडर के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध अभ्यासों में संलग्नता की है, तो बैंक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा;</p> <p>(c) यदि किसी भी समय बैंक निर्धारित करता है कि टेंडरकर्ता ने टेंडर के लिए प्रतिस्पर्धा करते या अनुबंध को निष्पादित करते समय निषिद्ध अभ्यासों में संलग्नता की है, तो बैंक टेंडरकर्ता को अयोग्य घोषित कर सकता है, या तो अनिश्चित काल के लिए या एक निर्धारित अवधि के लिए;</p> <p>2.2 इसके अतिरिक्त, टेंडरकर्ताओं को <u>अनुबंध I से IV</u> में बताए गए प्रावधानों के बारे में अवगत होना चाहिए</p>
<p>3. योग्य टेंडरकर्ता/ योग्यता मानदंड</p>	<p>बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली एजेंसी को निम्नलिखित मूल न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:</p> <p>3.1 <u>अनुभव</u>.</p> <p>(a) एयरपोर्ट, रक्षा, पीएसयू, दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में समान कार्यों का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (इस टेंडर जारी करने की तारीख तक) । (एजेंसी/फर्म का पंजीकरण इस नोटिस जारी करने की तारीख से 5 वर्ष पहले होना चाहिए)।</p>

	<p>(b) सुरक्षा एजेंसी को उपयुक्त सरकारी अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक सुस्थापित और प्रतिष्ठित संगठन होना चाहिए।</p> <p>(c) एजेंसी के पास बेंगलुरु में एक कार्यालय (पंजीकृत/कॉर्पोरेट/शाखा/क्षेत्रीय/ज़ोनल/प्रतिनिधि/लियोन ऑफिस) होना अनिवार्य है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>3.2 प्रत्येक पूर्ण कार्य के न्यूनतम वर्ष.</p> <p>(a) एयरपोर्ट, रक्षा, पीएसयू, दूतावास/वाणिज्य दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से किसी एक उच्च सुरक्षा स्थापना/स्थापना में अंतिम तीन वर्षों से लगातार सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना/कर चुका होना, जिसमें कम से कम 75 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती या अनुमानित लागत का 90% हो। या</p> <p>(b) एयरपोर्ट, रक्षा, पीएसयू, दूतावास/वाणिज्य दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से किसी दो उच्च सुरक्षा स्थापना/स्थापना में अंतिम तीन वर्षों से लगातार और साथ-साथ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना/कर चुका होना, जिसमें 40 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती या अनुमानित लागत का 60% हो। या</p> <p>(c) एयरपोर्ट, रक्षा, पीएसयू, दूतावास/वाणिज्य दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से किसी तीन उच्च सुरक्षा स्थापना/स्थापना में अंतिम तीन वर्षों से लगातार और साथ-साथ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना/कर चुका होना, जिसमें 30 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती या अनुमानित लागत का 40% हो।</p> <p>संतोषजनक पूर्णता/प्रदर्शन के लिए ग्राहक की रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपलोड की जानी चाहिए (स्कैन की गई पीडीएफ प्रारूप में) कार्य आदेश के अनुसार प्रस्तुत करें (जैसा कि अनुबंध X में दिया गया है)</p> <p>3.3. वार्षिक टर्नओवर. अंतिम 3 वर्षों तक, अर्थात् 31 मार्च, 2025 तक, सुरक्षा गार्ड सेवाओं के प्रदान से ₹3.55करोड़ के बराबर न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए।</p> <p>3.4 ईएसआईसी, ईपीएफ पंजीकरण. एजेंसी को ईएसआईसी और ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p>
--	--

	<p>3.5 प्रशिक्षण सुविधा. कंपनी के पास अपने सुरक्षा कर्मियों को पेशेवर, शारीरिक पहलुओं, अनुशासन और आचरण पर प्रशिक्षण देने के लिए उचित बुनियादी ढांचा होना चाहिए। इसका एक उचित रूप से प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान किया जा सकता है।</p> <p>3.6 पीएसएआरए लाइसेंस. एजेंसी/फर्म के पास कर्नाटक राज्य के नियंत्रण प्राधिकरण, अर्थात् उप निरीक्षक जनरल ऑफ पुलिस (आंतरिक सुरक्षा विभाग), नृपतुंग रोड, बेंगलोर स्थित निदेशक महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया वैध लाइसेंस होना चाहिए।</p> <p>3.7 स्थापना का पंजीकरण प्रमाणपत्र. एजेंसी के पास कर्नाटक श्रम विभाग से कर्नाटक दुकानें और वाणिज्यिक स्थापनाएं अधिनियम, 1961 के तहत स्थापनाओं के पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए।</p> <p>एजेंसी के पास "अनुबंध श्रमिकों के रोजगार के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए।</p> <p>3.8 (विनियमन एवं उन्मूलन) (कर्नाटक) नियम, 1974" कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्रालय से।</p> <p>3.9 एजेंसी को आवेदक के बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना चाहिए, जो कार्य के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अनुमानित लागत के बराबर न्यूनतम राशि के लिए हो।</p>
टेंडर दस्तावेज की सामग्री	
<p>4. टेंडर दस्तावेज के अनुभाग</p>	<p>4.1 टेंडर दस्तावेज दो भागों से बना है जिसमें नीचे दिए गए सभी अनुभाग शामिल हैं और इन्हें <u>बोलीदाताओं के लिए निर्देश</u> के अनुसार जारी किए गए किसी भी लेख/अनुभाग के साथ पढ़ा जाना चाहिए।</p> <p><u>टेंडरिंग प्रक्रिया</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुभाग-I: टेंडर का अनुसूची • अनुभाग-II: ई-टेंडर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश • अनुभाग-III: बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश (ITB) • अनुभाग-IV: मूल्यांकन / चयन मापदंड <p><u>अनुबंध की शर्तें और अनुबंध रूप (एनेक्स- I से XV)</u></p>

<p>5. टेंडर दस्तावेज़ की स्पष्टीकरण, प्री-बिड मीटिंग</p>	<p>5.1 इस दस्तावेज़ की किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाला टेंडरकर्ता इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप से बैंक से संपर्क कर सकता है या प्री-बिड मीटिंग के दौरान प्रश्न उठा सकता है।</p> <p>5.2 प्री-बिड मीटिंग 10 फरवरी, 2026 को 1000 बजे पी एंड एस, आरबीआई बेंगलुरु, 10/3/8, नृपतुंग रोड, बेंगलुरु 560001 पर आयोजित की जाएगी। बोलीदाता इस दस्तावेज़ में दिए गए संपर्कों के अनुसार टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से भी मुद्दों का स्पष्टीकरण कर सकते हैं।</p> <p>5.3 टेंडरकर्ता को अपने प्रश्न लिखित रूप में इस दस्तावेज़ में उल्लिखित बैंक के ईमेल पते पर 09 फरवरी, 2026 को 03:00 बजे से पहले भेजने होंगे, साथ ही प्री-बिड मीटिंग में भाग लेने वाले एक अधिकारी का नाम भी देना होगा।</p>
<p>6. टेंडर दस्तावेज़ में संशोधन</p>	<p>6.1 टेंडर जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) / ई-पोर्टल पर संशोधन / सुधार जारी करके इस दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है।</p> <p>6.2 जारी किए गए किसी भी संशोधन / सुधार को इस दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाएगा।</p> <p>6.3 संभावित टेंडरकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करते समय किसी भी / सभी संशोधन / सुधारों को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक से टेंडर जमा करने की समय सीमा को बढ़ा सकता है।</p>
<p>C. टेंडर की तैयारी</p>	
<p>7. टेंडरिंग की लागत</p>	<p>7.1 टेंडर दाता अपने टेंडर की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे टेंडरिंग प्रक्रिया का आचरण या परिणाम कुछ भी हो।</p>
<p>8. दस्तावेज़ जिनमें शामिल हैं टेंडर</p>	<p>8.1 टेंडर में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ul style="list-style-type: none"> • टेंडर आमंत्रण सूचना • तकनीकी बोली विवरण • वित्तीय बोली विवरण • ईमानदारी धन जमा

	<p>इच्छुक टेंडर दाता को 23 फरवरी , 2026 (1700 बजे) तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलुरु-560001 में ₹7,10,991/- (सात लाख दस हजार नौ सौ इक्यानवे रुपये मात्र) की राशि जमा करनी होगी। निम्नलिखित खाते में NEFT/RTGS द्वारा:</p> <p><u>लाभार्थी का नाम:</u> रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलुरु <u>खाता संख्या:</u> 8692299</p> <p><u>आईएफएस कोड:</u> RBIS0BGPA01 (5वां और 10वां अक्षर अंक हैं)</p> <ul style="list-style-type: none"> • कृपया विवरण में “ईएमडी के लिए राशि - निजी सुरक्षा गार्डों के लिए एससी के लिए टेंडर” लिखें • सफल टेंडर दाताओं द्वारा अनुबंध प्राप्ति के बाद प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी है। • अनुबंध समझौता (सफल टेंडर दाताओं द्वारा अनुबंध प्राप्ति के बाद) ।
<p>9. ईएमडी के रूप में टेंडर सुरक्षा और लेनदेन शुल्क</p>	<p>9.1 टेंडर दाताओं को ऑनलाइन ई-टेंडर में बोली लगाने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना आवश्यक है। लेनदेन शुल्क अनिवार्य रूप से वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) की ईएमडी टेंडर आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस की जाएगी।</p> <p>9.2 किसी भी परिस्थिति में ईएमडी के बिना टेंडर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।</p> <p>9.3 लेनदेन शुल्क अनिवार्य रूप से वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना किसी विक्रेता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी।</p> <p>नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क जमा कर दें ताकि वे बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय रख सकें।</p>
<p>10. टेंडर पत्र</p>	<p>10.1 टेंडर दाता को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से क्लास 3 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके बिना किसी परिवर्तन के टेंडर जमा करना चाहिए। सभी खाली स्थानों को अनुरोधित जानकारी से भरना चाहिए।</p>
<p>11. टेंडर दाता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज</p>	<p>11.1 अनुभाग-III (पैरा 3) के अनुसार अनुबंध का पालन करने की अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, टेंडर दाता को अनुबंध V से XV में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।</p>
<p>12. विभाग का दौरा</p>	<p>12.1 बोलीदाता को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करनी होंगी और उन्हें संचालन प्रणाली से परिचित होने के लिए दौरा करने की सलाह दी जाती है। दौरे की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने बैंक के संबंधित विभाग का दौरा किया है और टेंडर दस्तावेज जमा करने से पहले संचालन स्थितियों से अवगत है।</p>
<p>13. टेंडर की वैधता अवधि</p>	<p>13.1 टेंडर की वैधता अवधि टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की होगी।</p>

	अपवाद स्थितियों में, टेंडर वैधता अवधि समाप्त होने से पहले, बैंक टेंडर दाताओं से अपने टेंडर की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।
D. टेंडर का प्रस्तुतीकरण और खोलना	
14. टेंडर का प्रस्तुति, सीलिंग एवं अंकन	<p>14.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से टेंडर प्रस्तुत करने वाले टेंडरदाताओं को ई-टेंडर संबंधी निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक टेंडर प्रस्तुति प्रक्रिया का पालन करना होगा।</p> <p>14.2 टेंडरदाता अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) निर्धारित प्रारूप (भाग-II, अनुलग्नक-XV) में ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही "तकनीकी बोली" (भाग-I) में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करें। सभी जानकारी सहित ई-टेंडर निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपूर्ण टेंडर तुरंत अस्वीकार किए जाएंगे।</p> <p>14.3 टेंडरदाता दरें उन सभी घटकों को सम्मिलित करके उद्धृत करेंगे जो अनुलग्नक-XV तथा इस टेंडर दस्तावेज में अन्यत्र उल्लिखित हैं।</p> <p>14.4 यदि आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक टेंडर के अस्वीकार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।</p>
15. टेंडर प्रस्तुति की अंतिम तिथि	<p>15.1 टेंडर इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने चाहिए, और इस दस्तावेज में निर्दिष्ट तिथि एवं समय से पहले या उसी तिथि तक।</p> <p>बैंक अपनी विवेकाधीन शक्ति के अनुसार टेंडर दस्तावेज में संशोधन करके टेंडर प्रस्तुति की समय सीमा को बढ़ा सकता है।</p>
16. प्रत्येक बोलीदाता के लिए एक बोली	16.1 प्रत्येक बोलीदाता को अपने आप या संयुक्त उद्यम के भागीदार के रूप में या संघ के सदस्य के रूप में केवल एक टेंडर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता या संयुक्त उद्यम के कोई भी भागीदार या संघ के कोई भी सदस्य एक से अधिक बोली में भाग लेते हैं, तो उन बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।
17. विलंबित टेंडर	17.1 समय सीमा के बाद किसी भी टेंडर को पोर्टल पर अनुमति नहीं दी जाएगी।
18. टेंडर खोलना	18.1 बैंक अधिसूचित तिथि पर टेंडर (भाग-I) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा। भाग-II उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग-I में योग्य होंगे। भाग-II खोलने की तिथि सफल बोलीदाताओं के वैध ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से सूचित की जाएगी।
E. टेंडर की जांच	
19. गोपनीयता	19.1 टेंडरों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी टेंडर दाताओं या ऐसी प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से संबंधित न होने वाले किसी अन्य व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक सभी टेंडर दाताओं को अनुबंध प्रदान के बारे में जानकारी संचारित नहीं कर दी जाती है।

20. टेंडरों की स्पष्टीकरण	<p>20.1 टेंडरों की जांच, मूल्यांकन, तुलना और टेंडर दाताओं की योग्यता के लिए सहायता के लिए, बैंक अपने विवेकानुसार किसी भी टेंडर दाता से उसके टेंडर के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध कर सकता है, जिसमें प्रतिक्रिया देने के लिए उचित समय दिया जाएगा। बैंक द्वारा अनुरोध के बिना किसी टेंडर दाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी स्पष्टीकरण विचार नहीं किया जाएगा। बैंक का स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होनी चाहिए। टेंडर की कीमत या विषय के किसी भी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी, न ही प्रस्तावित की जाएगी, न ही अनुमति दी जाएगी, सिवाय उन अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के लिए जो बैंक द्वारा टेंडरों के मूल्यांकन के दौरान पाई गई हों।</p> <p>20.2 यदि टेंडर दाता बैंक के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपने टेंडर के स्पष्टीकरण नहीं प्रदान करता है, तो उसका टेंडर अस्वीकार किया जा सकता है।</p>
F. टेंडर मूल्यांकन और तुलना	
21. टेंडरों का मूल्यांकन	21.1 बैंक अनुभाग IV में दिए गए मूल्यांकन मापदंडों का उपयोग करेगा।
22. टेंडरकर्ता की योग्यता	22.1 बैंक अनुभाग III (बिंदु संख्या 3) के अनुसार योग्यता मापदंडों को पूरा करने वाले चयनित टेंडरकर्ता का निर्धारण अपनी संतुष्टि के अनुसार करेगा।
23. बैंक का किसी भी टेंडर को स्वीकार करने और किसी या सभी टेंडरों को अस्वीकार करने का अधिकार	23.1 बैंक को किसी भी टेंडर को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध आवंटन से पूर्व किसी भी समय टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने और सभी टेंडरों को अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना टेंडरकर्ताओं के प्रति किसी भी दायित्व के या किसी कारण के बताए। इसके अतिरिक्त, सशर्त बोलियाँ पूर्णतः अस्वीकार की जाएँगी।
G. अनुबंध का आवंटन	
24. मूल्यांकन मानदंड	24.1 बैंक अनुभाग IV (मूल्यांकन मानदंड) में विस्तार से वर्णित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर ठेकेदार का चयन करेगा।
25. आवंटन की सूचना	<p>25.1 वह ठेकेदार जो तकनीकी मूल्यांकन सहित साइट दौरों के मूल्यांकन को पूरा करता है और वित्तीय बोली में L1 है, अनुभाग-IV(A) के पैराग्राफ संख्या 1.5 में वर्णित शर्तों के अधीन ठेका प्राप्त करेगा।</p> <p>औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित होने तक, आवंटन की सूचना एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में मानी जाएगी। सफल ठेकेदार कार्य का पूर्ण भार 7 दिनों के भीतर संभाल लेगा।</p>
26. अनुबंध पर हस्ताक्षर	26.1 सफल ठेकेदार बैंक के साथ 15 दिनों के भीतर लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौता निष्पादित करेगा। स्टाम्प शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन और भुगतान

	<p>किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य के आवंटन की सूचना जारी करना एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, जैसे कि ऐसा समझौता निष्पादित किया गया है, और सभी शर्तें इस अनुबंध पर लागू होंगी। अनुबंध और दरें पहले वर्ष के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेंगी (उदाहरण के लिए, अप्रैल 2026-मार्च 2027), और बैंक द्वारा ठेकेदार(ओं) के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा और पारस्परिक सहमति के आधार पर दो अतिरिक्त वर्षों तक विस्तारित की जा सकती हैं।</p>
27. प्रदर्शन सुरक्षा	<p>27.1 सफल ठेकेदार अनुबंध के साथ <u>अनुलग्नक-V</u> के अनुसार बोली की राशि का 5% प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) प्रस्तुत करेगा। PBG अनुबंध अवधि समाप्त होने के 60 दिन बाद तक मान्य रहेगा। ऐसे ठेकेदार का EMD PBG प्राप्त होने पर वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>27.2 सफल ठेकेदार द्वारा 5% प्रदर्शन बैंक गारंटी या अनुबंध पर हस्ताक्षर न करना, आवंटन को रद्द करने, EMD की जब्ती और ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पर्याप्त कारण होगा।</p> <p>27.3 PBG को अनुबंध अवधि की समाप्ति के 2 महीने बाद, केवल तभी ब्याज के बिना जारी किया जाएगा जब अनुबंध के सफल समापन और एजेंसी या उसके कर्मचारियों से कोई दायित्व न होने की संतुष्टि प्राप्त हो जाए। किसी शिकायत या बकाया राशि की स्थिति में, प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) को सभी बकाया राशियों, दायित्वों आदि को समायोजित करने के बाद ही जारी किया जाएगा।</p>

अनुभाग-IV: मूल्यांकन/चयन मानदंड

	मूल्यांकन मैट्रिक्स
	A. तकनीकी बोली मूल्यांकन
1.	<p>1.1 सबसे पहले, भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) का मूल्यांकन किया जाएगा। ठेकेदारों को तकनीकी मूल्यांकन के लिए अनुबंध-V में दिए गए तकनीकी बोली के फॉर्म-1 के अनुसार जानकारी प्रदान करनी चाहिए।</p> <p>1.2 तकनीकी मूल्यांकन के लिए तकनीकी बोली के फॉर्म 1 में उल्लिखित विभिन्न वस्तुओं के लिए समर्थनकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।</p> <p>1.3 बैंक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की योग्यता मानदंडों के संदर्भ में जांच करेगा और बैंकों, मौजूदा ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रिया तथा साइट दौरों के परिणामों के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता के बारे में निर्णय लेगा।</p> <p>1.4 तकनीकी मूल्यांकन के लिए अंकों का मूल्यांकन परिशिष्ट "A" में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>1.5 तकनीकी रूप से योग्य सभी फर्मों/एजेंसियों/बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोली जाएँगी। कार्य L-1 एजेंसी को सौंपा जाएगा, बशर्ते वह टेंडर दस्तावेज में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा करता हो। यदि एक से अधिक एजेंसियों की वित्तीय बोली L-1 के समान है, तो कार्य उस एजेंसी को सौंपा जाएगा जिसे तकनीकी मूल्यांकन में अधिकतम अंक प्राप्त होंगे।</p> <p>1.6 वित्तीय बोली/भाग-II उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी जो भाग I में योग्य होंगे। टेंडर भाग-II में सबसे कम बोली वाले को सौंपा जाएगा।</p>
2.	<p>2.1 मूल्यांकन समिति के सदस्य ऊपर दिए गए मानदंडों के अनुसार बोलीदाताओं के मौजूदा अनुबंधों की गुणवत्ता और अन्य पहलुओं का आकलन करने के लिए साइट दौरों कर सकते हैं।</p> <p>2.2 ऐसे स्थानों की सूची, अर्थात् बेंगलुरु में ग्राहकों का पूरा पता और संपर्क व्यक्ति के संपर्क विवरण प्रदान किए जाने चाहिए।</p>

मूल्यांकन मैट्रिक्स

क्र.सं.	मूल्यांकन पैरामीटर	अंक
1.	पिछले 03 वित्तीय वर्षों (यानी 2022-23, 2023-24, 2024-25)	
	a) ₹3.55करोड़ तक	10 अंक
	b) ₹3.55करोड़ से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त ₹1.00 करोड़ के लिए	प्रत्येक 01 अंक
2.	रोल पर कर्मचारी संख्या	
	a) रोल पर 60 कर्मचारी तक	10 अंक
	b) प्रत्येक अतिरिक्त 100 कर्मचारियों के लिए रोल पर	प्रत्येक 01 अंक
3.	सुरक्षा सेवाएं चलाने का अनुभव	
	a) 5 वर्ष तक सुरक्षा सेवाएं चलाने का अनुभव	10 अंक
	b) 5 वर्ष से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए अनुभव	प्रत्येक 01 अंक
4.	पिछले वर्षों में किए गए कार्य की मात्रा	
	a) तीन पिछले वर्षों में सुरक्षा सेवा कर्मचारियों (सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर) के लिए कुल मूल्य ₹9.00 करोड़ के बराबर कार्य की मात्रा	10 अंक
	b) ₹9.00 करोड़ से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त ₹1.00 करोड़ के लिए कार्य की मात्रा	प्रत्येक 01 अंक
5.	रोल पर प्रशिक्षित सुपरवाइजरी स्टाफ की संख्या	
	a) रोल पर प्रशिक्षित सुपरवाइजरी स्टाफ की संख्या 03 सुपरवाइजर तक.	10 अंक
	b) प्रशिक्षित सुपरवाइजरी स्टाफ की प्रत्येक अतिरिक्त संख्या के लिए	प्रत्येक 01 अंक

बैंक को उपरोक्त पैरामीटर्स के समर्थन में मूल दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है

अनुभाग -V: समझौता लेख

1. यह समझौता बेंगलुरु में इस दिन _____, दो हजार छब्बीस को, भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय, जिसका मुख्य कार्यालय मुंबई के फोर्ट में है, और बेंगलुरु में इसका एक कार्यालय है, जिसे इसके क्षेत्रीय निदेशक / अधिकृत अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु-560001 द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसे आगे " बैंक" कहा जाएगा, एक ओर और _____ (एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/कंपनी), 2013 के कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संगठित (यदि कंपनी हो) और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे आगे "सुरक्षा एजेंसी" कहा जाएगा, जिसका अर्थ विषय या संदर्भ के विपरीत न होने तक उनके वारिसों, उत्तराधिकारियों और अधिग्रहणकर्ताओं को शामिल करता है) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसे उसके निदेशक मंडल द्वारा इस समझौते में प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया गया है, दूसरी ओर।

2. जबकि सुरक्षा एजेंसी ने अपनी सेवाएं प्रस्तावित की थीं और बैंक ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस सुरक्षा एजेंसी की सेवाएं ली हैं ताकि भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु के आवासीय कॉलोनियों और इसके मुख्य कार्यालय परिसर में सुरक्षा कर्मी प्रदान किए जा सकें, जैसा कि अनुसूची में वर्णित है। जो शर्तें इसके साथ संलग्न हैं, वे भी इस अनुबंध का हिस्सा होंगी।

3. बैंक द्वारा सुरक्षा एजेंसी को प्रति वर्ष _____(रुपये _____ मात्र) जीएसटी सहित भुगतान करने के बदले में, सुरक्षा एजेंसी 6 (छह) सुरक्षा सुपरवाइजर, 58 (अड़सठ) सुरक्षा गार्ड विभिन्न आरबीआई क्वार्टर्स में बेंगलुरु में और 9 (जिसमें 3 महिला गार्ड शामिल हैं) आरबीआई मुख्य कार्यालय भवन में 01 अप्रैल, 2026 से आगे निम्नलिखित शिफ्टों में तैनात करेगी:

तैनाती का स्थान	निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती						कुल
	सुरक्षा सुपरवाइजर	सुरक्षा गार्ड (पुरुष)			S/ गार्ड (सामान्य शिफ्ट)		
	सामान्य शिफ्ट	1st शिफ्ट	2nd शिफ्ट	3rd शिफ्ट	पुरुष	महिला	
RBIOQ कनिंघम रोड	1*	3	3	4	-	-	11
RBIOQ कनिंघम क्रेसेंट रोड	1*	2	2	2	-	-	7
RBI स्टाफ क्वार्टर्स, ओस्बोर्न रोड	1*	4	4	4	-	-	13
RBIOQ, NGV, कोरमंगला	1*	3	3	4	-	-	11
RBISQ, RPC लेआउट, विजयनगर	1*	2	2	2	-	-	7

RBI स्टाफ क्वार्टर्स, नंदिनी लेआउट	1*	5	5	5	-	-	16
RBI मुख्य कार्यालय भवन	-	2*	2*	1*	-	3*	8
कुल	6	21	21	22	-	3	73

सामान्य शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। *आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है।

4. सुरक्षा गार्डों को उक्त अनुसूची में वर्णित कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा और वे उसे बैंक की संतुष्टि के अनुसार बड़ी तत्परता, देखभाल और सटीकता के साथ कुशल ढंग से पूरा करेंगे और उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसे पूरा करेंगे और उनमें उल्लिखित सभी शर्तों और नियमों का पालन करेंगे (जो इस अनुबंध का हिस्सा माने जाएंगे जैसे कि वे यहां पूर्ण रूप से वर्णित किए गए हों) और बैंक यहां सहमत है कि यदि सुरक्षा एजेंसी उक्त कार्यों को उपरोक्त ढंग से पूरा करती है और उन शर्तों और नियमों का पालन करती है, तो बैंक उक्त सुरक्षा एजेंसी को उक्त कार्यों के लिए अंतिम पूर्णता के बाद उक्त अनुसूची में उल्लिखित दरों पर बकाया राशि का भुगतान करेगा या करवाएगा।

5. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक। यह समझौता दो अतिरिक्त वर्षों तक वार्षिक रूप से विस्तारित किया जा सकता है, दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति, ठेकेदार द्वारा संतोषजनक सेवाएं प्रदान किए जाने के अधीन, जब तक कि यह निम्नलिखित शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है। अनुबंध का नवीनीकरण अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद, समान शर्तों और नियमों पर वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। टेंडर दस्तावेज और किसी भी स्पष्टीकरण (सुधार) में निहित शर्तें और नियम इस समझौते का हिस्सा माने जाएंगे और पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। जब भी मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के मुख्य आयुक्त द्वारा घड़ी और पहरे (हथियारों के साथ/बिना) के कार्य में नियुक्त कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के बारे में अधिसूचना जारी की जाती है, तो अनुबंध मूल्य में संशोधित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वृद्धि/वृद्धि दी जाएगी। अनुबंध का नवीनीकरण अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद, समान शर्तों और नियमों पर वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।

6. अनुबंध की शर्तें और मजदूरी विभाजन संलग्न हैं।

हस्ताक्षरित एवं सौंपित

एवं बराबर निर्माण के लिए

M/s.Pvt Ltd

गवाह / Witness

हस्ताक्षर/Signature

नाम / Name

हस्ताक्षरित एवं सौंपित

एवं बराबर निर्माण के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक

गवाह / Witness

हस्ताक्षर/Signature

नाम / Name

पृष्ठ 25 में से 103

आरबीआई बंगलुरु और बैंक के कॉलोनियों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) को प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-टेंडर

शर्तें और नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (अर्थात् लोगों, सामग्री और वाहनों के आवागमन की निगरानी, निगरानी आदि) के संपत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, अर्थात् पूर्व सैनिक या उचित प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति के लिए अनुबंध की शर्तें और नियम, जो बेंगलुरु में स्थित हैं, एक वर्ष की अवधि के लिए। सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्या 06 (छह) सुरक्षा सुपरवाइजर, 67 (सड़सठ) सुरक्षा गार्ड (जिसमें 3 महिला सुरक्षा गार्ड शामिल हैं जो आरबीआई मुख्य कार्यालय भवन में तैनात हैं) है।

1. एजेंसी PSARA-2005 और कर्नाटक निजी सुरक्षा एजेंसियों नियम, 2008 (KPSAR-2008) के अनुसार कार्य करेगी और उपरोक्त अधिनियम और नियमों में उल्लिखित सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेगी।
2. कार्य के जिम्मे लेने के बाद, ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए कार्य तंत्र और कर्तव्य निर्धारण को क्षेत्रीय निदेशक या उनके नामित व्यक्ति के साथ परामर्श करके तैयार करेगा। ठेकेदार आगे बैंक, बेंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक या उनके नामित व्यक्ति द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों/निर्देशों का पालन करने और उनका पालन करने के लिए बाध्य होगा।
3. बैंक, बेंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों पर आश्चर्यजनक जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन व्यक्तियों द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
4. यदि ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों में से कोई भी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता है या अनुचित आचरण करता है या कोई अवैध कार्य करता है या अशांति का आचरण करता है, तो ठेकेदार तुरंत उस व्यक्ति को हटाएगा और बैंक, बेंगलुरु की रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। आगे, ठेकेदार तुरंत उस व्यक्ति को बदल देगा जो उपरोक्त कार्यों में शामिल है, बैंक, बेंगलुरु की मांग पर।
5. ठेकेदार बैंक, बेंगलुरु के साथ परामर्श करके उसे सौंपे गए कार्य को सावधानीपूर्वक और मेहनत से पूरा करेगा।

6. कार्य और सेवाओं का क्षेत्र।

a) सुरक्षा सुपरवाइजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां:

- i. सुरक्षा सुपरवाइजर उन परिसरों की समग्र सुरक्षा और घड़ी और पहरे की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगा जहां उनकी तैनाती की गई है।
- ii. सुरक्षा सुपरवाइजर सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक निर्देश सुरक्षा गार्डों को सूचित किए जाएं और इन निर्देशों का पालन करने में कोई लापरवाही न हो।
- iii. प्रत्येक शिफ्ट का सुरक्षा सुपरवाइजर अपने सुरक्षा गार्डों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। शिफ्ट वाइज सुरक्षा तैनाती की निगरानी करें और सभी कर्मचारियों को दिन के विशिष्ट निर्देशों के लिए सूचित करें।
- iv. शिफ्ट की शुरुआत में वह बाहर जाने वाले सुपरवाइजर से पूरी तरह से जिम्मेदारी लेगा और अपने कार्य के समाप्त होने पर आने वाले सुपरवाइजर को अपनी जिम्मेदारी सौंपेगा, जिसमें किए गए कार्य और अधूरे कार्यों के बारे में स्पष्ट विवरण शामिल होगा।
- v. वह सुरक्षा गार्डों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि लोगों, सामग्री और वाहनों के आवागमन की सभी गतिविधियां अनुमोदित हैं और अनुमोदित किए बिना कोई विचलन नहीं है।
- vi. शिफ्ट पर कार्य करने से पहले सुपरवाइजर कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करेगा, प्रत्येक गार्ड को उसके पद के कर्तव्यों के बारे में सूचित करेगा और दिन के लिए उन पदों के लिए विशिष्ट निर्देश देगा। कार्य के दौरान गार्ड की गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- vii. अपने कर्तव्य के दौरान वह सभी बाहर जाने वाले/आने वाले कार्यकर्ताओं, अनुबंध श्रमिकों, ठेकेदारों और विक्रेताओं की जांच करेगा।
- viii. अपने जांच दौरे के दौरान, सुपरवाइजर को अपने जिम्मेदारी के क्षेत्र में किसी असामान्य गतिविधि के बारे में जानकारी एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए, जिसे देखने पर पहले सुधारात्मक / रोकथाम कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही सुरक्षा प्रबंधकों / देखभालकर्ताओं के माध्यम से बैंक को सूचित करना चाहिए।
- ix. वह मुख्य गेट की देखभाल और उच्चतम मानक सफाई सुनिश्चित करेगा और नियमित कार्य के लिए तैनात सभी सुरक्षा उपकरणों और उपकरणों के कार्य को सुनिश्चित करेगा।
- x. वह देखभालकर्ता, सुरक्षा प्रबंधक और निवासी कल्याण संघ के साथ संपर्क बनाए रखेगा और हमेशा किसी भी बदलाव के बारे में अपडेट रहेगा और उसे अपने सुरक्षा गार्डों को सूचित करेगा।
- xi. वह आगंतुकों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसका कर्मचारी आने वाले या जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सभ्य व्यवहार बनाए रखें।

- xii. वह हमेशा किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने और उसमें सहायता / मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहेगा।
- xiii. सुपरवाइजर को आग सुरक्षा संचालन में प्रशिक्षित होना चाहिए। वह विभिन्न आग बुझाने वाले यंत्रों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए जो कॉलोनीयों में स्थापित हैं और वह हमेशा किसी दुर्घटना या आग आपातकाल की स्थिति में अपने उपलब्ध कर्मचारियों के साथ सहायता के लिए तैयार रहेगा।
- xiv. सुपरवाइजर को सुरक्षा कर्मियों के प्रभावी कार्य की सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए।
- xv. अपनी शिफ्ट के दौरान वह सभी पोस्ट पर जाकर तैनात सुरक्षा गार्डों द्वारा कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन की जांच और सुनिश्चित करेगा।
- xvi. सुपरवाइजर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शिफ्ट दस्तावेजीकरण बनाए रखेगा।
- xvii. शिफ्ट सुपरवाइजर सुनिश्चित करेगा कि सभी फोन कॉल तुरंत प्राप्त की जाएं और जहां आवश्यक हो, संबंधित संदेश नोट किया जाए और जब वे उपलब्ध हों तो संबंधित व्यक्तियों / अधिकारियों को तुरंत पास किया जाए।
- xviii. अपनी शिफ्ट के अंत में वह सुरक्षा गार्डों/अगली शिफ्ट के सुरक्षा सुपरवाइजरों को अपनी शिफ्ट के दौरान किए गए सभी कर्तव्यों और यदि कोई अधूरा कार्य हो तो उसके बारे में सूचित करेगा।
- xix. बैंक द्वारा सुरक्षा में सुधार के लिए दिए गए किसी अन्य कार्य।

b) सुरक्षा गार्डों के कर्तव्य

- i. सभी सुरक्षा गार्ड अपने कार्य शुरू होने से दस मिनट पहले कार्य पर रिपोर्ट करेंगे और अच्छी तरह से तैयार होंगे।
- ii. सुपरवाइजर द्वारा ब्रीफिंग के बाद वे दिन के निर्देशों पर किसी भी संदेह को स्पष्ट करेंगे।
- iii. पेट्रोल ड्यूटी गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने कार्य समय के दौरान गतिशील रहें। सुरक्षा/चेक पोस्ट पर कार्यरत अन्य गार्ड सतर्क रहेंगे और अपने पदों पर उपलब्ध होंगे।
- iv. गार्ड द्वारा द्वार/निकास गेट्स पर और कॉलोनी के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और कोई असामान्यता देखने पर तुरंत सुपरवाइजर को सूचित किया जाएगा।
- v. कार्य के दौरान गार्ड कर्मचारियों, निवासियों और अतिथियों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे।

- vi. कार्य के दौरान गार्ड कर्मचारियों के साथ विनम्र लेकिन दृढ़ व्यवहार बनाए रखेंगे लेकिन कार्य में अनावश्यक बाधा नहीं डालेंगे।
- vii. गार्ड उन गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जिन्हें वे जांचने और रोकने के लिए नियुक्त किए गए हैं।
- viii. किसी संदेह की स्थिति में गार्ड इसे अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि तुरंत शिफ्ट सुपरवाइजर या सुरक्षा अधिकारी से मदद लेंगे।
- ix. कार्य के दौरान गार्ड खुली आंखों और संवेदनशील मन के साथ काम करेंगे और असामान्यताओं को खोजने की पहल करेंगे।
- x. कोई भी गार्ड, विशेष रूप से रात की शिफ्ट के दौरान, कभी भी सोते हुए नहीं पाया जाएगा। यदि सोते हुए पाया जाता है, तो गार्ड को आरबीआई के सभी संपत्तियों से हटा दिया जाएगा और सुरक्षा एजेंसी को टेंडर दस्तावेज के अनुलग्नक IV में उल्लिखित दंड खंड के अनुसार मौद्रिक रूप से दंडित किया जाएगा।
- xi. मुख्य गेट पर कार्यरत गार्ड आने वाले/जाने वाले कर्मचारियों/आगंतुकों/ठेकेदारों/श्रमिकों आदि की जांच करेंगे।
- xii. कॉलोनियों के मुख्य गेट पर बूम बैरियर हमेशा नीचे की स्थिति में होना चाहिए।
- xiii. मुख्य गेट पर कार्यरत गार्ड आगंतुकों, वाहनों के लिए एक लॉग बुक बनाए रखेंगे और घरेलू सहायकों, ठेकेदारों, श्रमिकों आदि के लिए एक अलग लॉग बुक।
- xiv. सुरक्षा गार्ड कॉलोनियों में निर्धारित समय पर पानी के पंप के संचालन का सुनिश्चित करेंगे।
- xv. पेट्रोल ड्यूटी पर कार्यरत गार्ड परिसर में सभी पानी के नल, वाल्व, पानी के हाइड्रेंट आदि की देखभाल करेंगे।
- xvi. कार्यरत गार्ड बैंक के परिसर में स्थित पार्किंग साइट्स में खड़े सभी वाहनों की देखभाल करेंगे।
- xvii. गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि स्ट्रीट डॉग और घरेलू पशु परिसर में प्रवेश न करें।
- xviii. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फूल के पौधे, पेड़ और लॉन न तो कर्मचारियों द्वारा और न ही बाहरी लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त हों।
- xix. सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर को आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाले सिलेंडर और अन्य अग्निशमन सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। वे अग्निशमन कर्मचारियों की सहायता करेंगे आग बुझाने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में।

xx. आपातकालीन स्थितियों में, तैनात सुरक्षा कर्मी/सुपरवाइजर विभाग की आपदा योजना, यदि कोई हो, के अनुसार अपनी परिभाषित भूमिका के अनुसार भाग लेंगे। गार्ड/सुपरवाइजर को ऐसी स्थितियों में उनकी भूमिका के लिए संवेदनशील होना चाहिए।

xxi. सुरक्षा सुपरवाइजर/गार्ड को महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से परिपक्व व्यवहार दिखाना चाहिए।

xxii. कोई भी सुरक्षा गार्ड कार्य पर तब तक परिसर छोड़ नहीं सकता जब तक उसका प्रतिस्थापन कार्य पर रिपोर्ट नहीं करता।

xxiii. बैंक कार्यालय परिसर में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड को भवन में प्रवेश करने वाली महिला आगंतुकों / ग्राहकों की फ्रिस्क करनी होगी।

xxiv. बैंक द्वारा सलाह दिए गए किसी अन्य प्रावधान को अनुबंध में शामिल किया जा सकता है। वह भी ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

xxv. बैंक द्वारा सुरक्षा में सुधार के लिए दिए गए किसी अन्य संबंधित कार्य।

7. प्रदान किए गए सुरक्षा कर्मी एजेंसी के कर्मचारी होंगे और सभी वैधानिक दायित्व एजेंसी द्वारा भुगतान किए जाएंगे, जैसे कि ईएसआई, पीएफ, श्रमिकों का मुआवजा आदि।

8. एजेंसी सभी संबंधित कानूनों और श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी और (अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970), ईपीएफ आदि के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगी, जो उसके द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों के लिए कार्य के लिए और किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा एजेंसी पर लगाए गए किसी अन्य वैधानिक दायित्व के लिए हैं। इनमें से किसी भी शर्त पर एजेंसी की विफलता समझौते को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी।

9. ईपीएफ के संबंध में, एजेंसी का कर्तव्य होगा कि आरपीएफसी द्वारा पीएफ कोड नंबर आवंटित करवाए जाएं, जिसके खिलाफ पीएफ योगदान, तैनात कर्मियों के भुगतान से कटौती की गई हो और नियोक्ता का बराबर योगदान अवधि के अंत के 7 दिनों के भीतर संबंधित पीएफ अधिकारियों को जमा किया जाए, कर्मचारियों के पूर्ण विवरण के साथ। इस पहलू पर गैर-अनुपालन के कारण किसी भी जुर्माने/दायित्व के लिए जिम्मेदारी एजेंसी पर होगी।

10. एजेंसी को बैंक द्वारा मांगे जाने पर पीएफ/ईएसआई आदि के लिए कर्मचारियों के योगदान के जमा होने के प्रमाण प्रदान करने होंगे।

11. आमतौर पर आठ घंटे की शिफ्ट 0600 बजे से 1400 बजे, 1400 बजे से 2200 बजे और 2200 बजे से 0600 बजे तक होगी। लेकिन शिफ्ट का समय बदल सकता है और बैंक द्वारा समय-समय पर आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। लगातार 8 घंटे से अधिक कार्य घंटे की अनुमति नहीं होगी।

12. तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी। तैनात किए गए कर्मचारियों की सूची में किए गए किसी भी बदलाव को बैंक के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

13. बैंक द्वारा किसी भी नकारात्मक टिप्पणी, कर्तव्य की उपेक्षा आदि के मामले में या बैंक द्वारा बताए गए किसी अन्य कारण से एजेंसी कर्मचारियों को बदल देगी।

14. किसी भी कर्मचारी के अवकाश/अनुपस्थिति की स्थिति में, सुरक्षा एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि एक प्रतिस्थापन प्रदान किया जाए।

15. एजेंसी 21 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक आयु के अहर्ता वाले गार्डों को तैनात नहीं करेगी। सुपरवाइजरों को पर्याप्त अनुभव होना चाहिए लेकिन उनकी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

16. सुरक्षा गार्डों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

- a) KPSAR 2008 की धारा 6 उप-धारा (a) से (c) के अनुसार शारीरिक फिटनेस का मानक होना चाहिए।
- b) न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए।
- c) KPSAR 2008 की धारा 5 उप-धारा (1) से (7) के अनुसार सुरक्षा प्रशिक्षण होना चाहिए।
- d) बोलीदाता के रोजगार रोल पर न्यूनतम छह महीने से अधिक समय तक कार्यरत होना चाहिए जब तक कि उन्हें RBI के स्थानों पर तैनात न किया जाए।
- e) सुपरवाइजर एक सेवानिवृत्त सैनिक या इस क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
- f) एजेंसी बैंक के साथ ऐसी सेवा की अवधि के दौरान निजी अशस्त्र गार्ड के लिए पूरे जोखिम कवरेज के लिए उत्तरदायी होगी।

g) एजेंसी तैनाती से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच करेगी और इस संबंध में बैंक को एक अनुबंध प्रस्तुत करेगी।

17. एजेंसी उपयुक्त रजिस्टर रखेगी जिस पर प्रत्येक स्थान पर दैनिक तैनाती का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह बस्ती में देखभाल करने वाले व्यक्तियों और बैंक इमारत में सुरक्षा प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बिल उठाते समय, प्रत्येक महीने के दौरान तैनात कर्मचारियों के शिफ्ट वार विवरण दिखाए जाने चाहिए। एजेंसी को नियमों और लागू कानूनों के अनुसार मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक अनुबंध (प्रारूप पर) प्रस्तुत करना होगा, जिसे बैंक के संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

18. कर्तव्य पर होने वाले किसी दुर्घटना या मृत्यु के कारण उत्पन्न सभी दायित्वों को एजेंसी वहन करेगी। इस उद्देश्य के लिए, एजेंसी पर्याप्त बीमा कवर रखेगी।

19. एजेंसी अपने खर्च पर सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर आदि के लिए व्यापक बीमा (कर्मचारी मुआवजा नीति) की व्यवस्था करेगी और बनाए रखेगी।

20. सभी आवश्यक रिपोर्ट (पैट्रोल रिपोर्ट आदि) और अन्य जानकारी एजेंसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रदान की जाएगी।

21. एजेंसी अपने कार्यालय में बैंक के साथ अंतर्क्रिया के लिए एक एकल संपर्क बिंदु नियुक्त करेगी। एजेंसी को हर सप्ताह एक बार अपने अधिकृत अधिकारी को बैंक के साथ बैठक के लिए भेजना चाहिए ताकि मुद्दों का समाधान किया जा सके।

22. ठेकेदार द्वारा जमा किया गया प्रदर्शन बैंक गारंटी ठेकेदार के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या RBI, बेंगलुरु को किसी भी नुकसान/क्षति के कारण जब ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों की विफलता या लापरवाही के कारण होता है या ठेकेदार द्वारा समझौते के उल्लंघन के मामले में जब्त/उपयोग किया जा सकता है या अधिग्रहण किया जा सकता है।

23. एजेंसी और उसके कर्मचारी बैंक द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों को नुकसान, विनाश, अपव्यय या दुरुपयोग से बचाने के लिए उचित और उचित सावधानियां बरतेंगे और किसी भी व्यक्ति या कंपनी को उन संपत्तियों में से किसी भी वस्तु को जानबूझकर उधार नहीं देंगे।

24. एजेंसी बैंक की सौंपी गई सभी संपत्ति और उपकरणों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

25. एजेंसी का कोई भी सुरक्षा कर्मचारी या अन्य कर्मचारी किसी भी आकार में कोई धन्यवाद या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा।

26. एजेंसी के पास अपने खर्च पर प्रशिक्षण के उद्देश्य से उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री और अनुभवी शिक्षकों (सेवानिवृत्त सैनिक/सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री बल/सेवानिवृत्त पुलिस) वाला अपना स्थापना/प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए ताकि अनुबंध के तहत उसके दायित्वों और जिम्मेदारियों का सही और संतोषजनक प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।

27. एजेंसी के साथ उनके रोजगार समझौते के तहत, सुरक्षा कर्मचारी बैंक के परिसर में तैनात होने तक किसी भी पेशेवर या अन्य काम के लिए सीधे या परोक्ष रूप से कोई पुरस्कार या अन्य लाभ नहीं लेंगे, जब तक कि वे एजेंसी के लिए और उसके लिए काम न कर रहे हों।

28. यदि किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को कोई नुकसान होता है, जिसे बैंक द्वारा आयोजित जांच के बाद स्थापित किया जाएगा, तो उस नुकसान की राशि एजेंसी से वसूली जा सकती है। बैंक का निर्णय एजेंसी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

29. एजेंसी इस समझौते में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे निर्देशों के अनुसार जो दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हुए हैं, सुरक्षा और संबंधित सेवाओं, कार्यों, मामलों और चीजों को करेगी और करेगी जो व्यवस्थाओं के प्रशासन, निरीक्षण और संचालन से संबंधित हैं।

30. एजेंसी बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों को किसी भी तरह से हटाने, पुनर्तैनात करने या प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन बैंक को पूर्व सूचना देनी होगी।

31. एजेंसी द्वारा तैनात किए गए कर्मचारी बैंक के परिसर में तैनात होने के दौरान हमेशा बैंक द्वारा समझौते में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अन्यथा वर्किंग पेनल्टी क्लॉज में उल्लिखित दंड लगाए जाएंगे। इस खाते पर दंड एजेंसी के बिलों से काटे जाएंगे।

32. एजेंसी द्वारा तैनात किए गए कर्मचारी बैंक के कर्मचारियों/आगंतुकों आदि के साथ व्यवहार में विनम्र और सुखद भावना रखेंगे और अत्यधिक अनुशासन की छवि प्रस्तुत करेंगे।

33. एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड ठीक से, साफ और स्मार्ट रूप से पोशाक पहनेंगे और कर्तव्य के दौरान अपने पहचान पत्र दिखाएंगे। उनके वर्दी आयरन की गई होंगी और जूते काले और पॉलिश किए हुए होंगे।

34. एजेंसी को सभी बस्तियों / बैंक परिसरों में बैंक के साथ परामर्श करके एक प्रमुख स्थान पर "आदर्श वर्दी वाली तस्वीर" प्रदर्शित करनी चाहिए।

35. भुगतान हर महीने के अंत में एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मचारियों द्वारा वास्तव में मनाए गए/संचालित शिफ्ट के आधार पर किया जाएगा और बैंक के प्रतिनिधि और एजेंसी/उसके प्रतिनिधि/उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। बैंक द्वारा किसी भी अन्य दावे को विचार में नहीं लिया जाएगा। बैंक समय-समय पर लागू सभी करों, शुल्कों आदि को ठेकेदार को देय राशि से काट लेगा।

36. यदि एजेंसी के किसी भी कर्मचारी को अनुबंध के तहत तैनात किया गया है और वह अनुपस्थित है, तो बैंक वर्किंग पेनल्टी क्लॉज में उल्लिखित दंड लगाएगा और उसे एजेंसी के बिलों से काट लेगा। बैंक द्वारा एजेंसी को एक आधिकारिक चेतावनी पत्र भी जारी किया जाएगा क्योंकि इसे बैंक की संपत्ति की सुरक्षा को "उच्च जोखिम" स्तर तक उजागर करने के रूप में माना जाएगा।

37. यदि एजेंसी के किसी भी कर्मचारी को अनुबंध के तहत तैनात किया गया है और वह समय पर रिपोर्ट नहीं करता है और एजेंसी समय पर उसके लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन प्रदान करने में असमर्थ है, तो इसे अनुपस्थिति माना जाएगा और वर्किंग पेनल्टी क्लॉज में उल्लिखित दंड लगाया जाएगा।

38. यदि एजेंसी के कर्मचारी के आचरण/अशिष्टता के कारण कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वर्किंग पेनल्टी क्लॉज में उल्लिखित दंड लगाया जाएगा और उसे एजेंसी के बिल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, संबंधित कर्मचारी को तुरंत तैनाति से हटा दिया जाएगा। बैंक द्वारा एक आधिकारिक चेतावनी पत्र भी जारी किया जाएगा।

39. एजेंसी के कर्मचारी के किसी भी कार्य के कारण उत्पन्न किसी भी मुकदमे (उपभोक्ता न्यायालयों सहित) के कारण उत्पन्न कोई भी दायित्व सीधे एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें सभी खर्च/जुर्माने शामिल हैं।

40. यदि किसी भी राशि को श्रम अधिकारियों के निर्देशों या किसी भी श्रम कानूनों या विनियमों के तहत किसी दावे या आवेदन के कारण बैंक द्वारा भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी राशि एजेंसी द्वारा देय मानी जाएगी। बैंक ठेकेदार को देय राशि या प्रदर्शन बैंक गारंटी से धन की वसूली करने का अधिकार रखेगा।

41. एजेंसी किसी भी उप-ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगी या किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से अनुबंध स्थानांतरित नहीं करेगी।

42. एजेंसी निम्नलिखित वस्तुओं पर व्यय वहन करेगी: सुरक्षा कर्मचारियों के लिए टॉर्च और सेल, लाठी/बॉलम और अन्य उपकरणों की आपूर्ति, सुरक्षा चौकियों पर ड्यूटी चार्ट और रजिस्टर लिखने और रिकॉर्ड रखने के लिए स्टेशनरी, आवश्यकताओं के अनुसार। एजेंसी अपने सुरक्षा उपकरण जैसे "पेट्रोल गार्ड टूर" प्रदान करेगी ताकि सुरक्षा गार्डों द्वारा बैंक की संपत्ति के भीतर सुरक्षा बिंदुओं (बैंक अधिकारियों के साथ परामर्श करके निर्धारित) की पैट्रोलिंग की जा सके।

43. एजेंसी प्रत्येक सुपरवाइजर और प्रत्येक बस्ती में एक सुरक्षा गार्ड को वॉकी-टॉकी प्रदान करेगी ताकि उनके बीच प्रभावी और समय पर संचार सुनिश्चित किया जा सके।

44. एजेंसी पेट्रोल गार्ड टूर सिस्टम प्रदान करेगी/पेश करेगी - छह बस्तियों में से प्रत्येक में एक, न्यूनतम 12 रीडर पॉइंट के साथ। एजेंसी दिन/रात पेट्रोल की निगरानी करेगी जो गार्डों द्वारा की जाती है और डेटा बैंक के साथ साझा करेगी। एजेंसी बैंक के साथ समन्वय करके प्रत्येक बस्ती में रीडर पॉइंट की पहचान और स्थान निर्धारित करेगी।

45. एजेंसी अनुबंध की अवधि के दौरान या अनुबंध समाप्त होने के बाद भी बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करेगी।

46. एजेंसी को बेंगलुरु में 24 घंटे की नियंत्रण कक्ष सेवा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम रखनी चाहिए।

वित्तीय समावेशन:

47. एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि बैंक परिसर में तैनात सभी सुरक्षा गार्डों के पास एक बचत बैंक खाता और एक एटीएम कार्ड हो। मजदूरी का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से किया जाएगा और मजदूरी हर महीने की 10 तारीख तक भुगतान की जाएगी।

यौन उत्पीड़न:

48. एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण पालन के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगी। यदि बैंक के परिसर में एजेंसी के कर्मचारी के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी सुनिश्चित करेगा कि शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

49. यदि ठेकेदार के किसी भी अभियुक्त कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

50. यदि घटना ठेकेदार के कर्मचारियों से संबंधित है, तो एजेंसी किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए उत्तरदायी होगी, जैसे कि बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

51. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

52. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, एजेंसी 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी। सुरक्षा गार्ड की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

53. एजेंसी कारखाना अधिनियम 1948, अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, ईएसआई अधिनियम 1948, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, कर्नाटक औद्योगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय और त्योहारी अवकाश) अधिनियम 1963 और उनके अधीन नियमों या किसी अन्य कानून और नियमों के प्रावधानों का पालन करेगी जो समय-समय पर अनुबंध कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं। एजेंसी रजिस्टर और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगी और बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन करेगी।

—

—

गोपनीयता खंड:

54. एजेंसी बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरणों को सीधे या परोक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगी, जो इस समझौते के तहत अपने अनुबंधित दायित्वों के निर्वहन के दौरान सेवा प्रदाता के पास या ज्ञान में आ सकते हैं, और हमेशा उन्हें कड़ी गोपनीयता के साथ रखेगी। सेवा प्रदाता अनुबंध के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा, जब तक कि इसके अनुबंधित दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक न हो। सेवा प्रदाता किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य कहीं भी बिना नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित या खुलासा नहीं करेगा। सेवा प्रदाता नियोक्ता को किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा सहन किए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त के पालन न करने को सेवा प्रदाता के पक्ष से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और अन्य कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार रखेगा।

55. सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कार्रवाई/सावधानियां लेगा ताकि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गोपनीयता के दायित्वों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके।

56. सेवा प्रदाता के गोपनीयता और गोपनीयता के संबंध में दायित्व इस समझौते के समाप्त होने या समाप्त होने के बाद भी बने रहेंगे, जो भी कारण हो।

मध्यस्थता:

57. जहां अन्यथा अनुबंध में प्रदान किया गया है, वहां के अलावा, इससे संबंधित कार्य के दायरे, शर्तों और प्रावधानों, या सेवा की गुणवत्ता, या अन्य कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, मामला या बात, जो अनुबंध, कार्य के दायरे, शर्तों और प्रावधानों, निर्देशों, आदेशों या अन्य किसी भी तरह से संबंधित है, चाहे अनुबंध

पृष्ठ 37 में से 103

आरबीआई बेंगलुरु और बैंक के कॉलोनियों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) को प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-टेंडर

के प्रगति के दौरान हो या इसके पूरा होने के बाद, रीजनल डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जो ऐसा मध्यस्थ बनने के लिए तैयार है। अनुबंध में व्यक्त किए गए मामलों के अलावा, जिनके लिए जनरल मैनेजर (HRMD) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है, इन मामलों के लिए मध्यस्थता की जाएगी। यदि नियुक्त मध्यस्थ RBI के कर्मचारी हैं और उन्हें ऐसे मामलों से संबंधित कार्य करने होते हैं और उन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान विवादित मामलों में से किसी एक या सभी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो इसका कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि मूल रूप से संदर्भित मध्यस्थ अपने कार्यालय से स्थानांतरित हो जाता है, या अपने कार्यालय से अपना पद छोड़ देता है, या किसी अन्य कारण से कार्य नहीं कर सकता है, तो उस समय ऐसा रीजनल डायरेक्टर अनुबंध के शर्तों के अनुसार एक अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए अवस्था से आगे बढ़ने का अधिकार रखेगा।

उपरोक्त के अधीन, अर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या इसके किसी सांविधानिक संशोधन या पुनर्प्रवर्तन या उसके तहत बनाए गए नियमों और उस समय लागू नियमों के प्रावधान इस खंड के तहत मध्यस्थता प्रक्रिया पर लागू होंगे।

यह अनुबंध की एक शर्त है कि मध्यस्थता में शामिल पक्ष इस खंड के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवाद या विवादों के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा की गई राशि या राशियों को निर्दिष्ट करेगा।

मध्यस्थ द्वारा समय-समय पर पक्षों की सहमति से निर्णय और प्रकाशन के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।

अनुबंध के तहत कार्य, यदि तर्कसंगत रूप से संभव हो, तो मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान जारी रहेगा और एजेंसी को देय कोई भुगतान ऐसी प्रक्रिया के कारण रोका नहीं जाएगा।

मध्यस्थ को उस दिन से उसके संदर्भ पर नियुक्त माना जाएगा जब वह दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेगा और पहली सुनवाई की तारीख निर्धारित करेगा।

मध्यस्थ उसे संदर्भित प्रत्येक विवाद या अंतर के संबंध में अलग-अलग आदेश देगा।

मध्यस्थता का स्थान ऐसी जगह होगी जैसा कि मध्यस्थ अपने एकल विवेक से निर्धारित करेगा।

मध्यस्थ का आदेश सभी अनुबंध के पक्षों के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा। किसी भी अनुसुलझे विवाद के मामले में एजेंसी और RBI के बीच यह कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

58. न्यायालय का अधिकार क्षेत्र:

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र: यह समझौता कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

59. अनुबंध की अवधि के दौरान, अनुबंध को रीजनल डायरेक्टर, RBI, बेंगलुरु द्वारा एक महीने की नोटिस देकर या एक महीने के शुल्क के बदले भुगतान करके समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्तमान समझौते की अवधि से अधिक अनुबंध को दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

60. किसी भी असंगति या अनुवाद त्रुटि के मामले में, अंग्रेजी संस्करण बाध्यकारी होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हस्ताक्षरकर्ता

अधिकृत

साक्षी:

हस्ताक्षर

नाम

साक्षी:

हस्ताक्षर

नाम

कार्य और सेवाओं का क्षेत्र

1. सुरक्षा सुपरवाइजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ:

- (a) सुरक्षा सुपरवाइजर तैनाती के स्थान पर समग्र सुरक्षा और चौकीदारी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगा।
- (b) सुरक्षा सुपरवाइजर सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक निर्देश सुरक्षा गार्डों को सूचित किए जाएँ और इन निर्देशों का पालन करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
- (c) प्रत्येक शिफ्ट का सुरक्षा सुपरवाइजर अपने सुरक्षा गार्डों की शिफ्ट के दौरान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। उसे शिफ्ट के अनुसार सुरक्षा तैनाती की निगरानी करनी होगी और सभी कर्मचारियों को दिन के विशिष्ट निर्देशों के बारे में सूचित करना होगा।
- (d) शिफ्ट की शुरुआत में वह आउटगोइंग सुपरवाइजर से पूरी तरह से चार्ज लेगा और अपनी ड्यूटी पूरी होने पर आने वाले सुपरवाइजर को गतिविधियों और अधूरे कार्यों के बारे में स्पष्ट विवरण के साथ चार्ज सौंपेगा।
- (e) वह सुरक्षा गार्डों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों, सामग्री और वाहनों की सभी प्रवेश और निकास गतिविधियों की निगरानी की जाए और किसी भी विचलन की अनुमति न दी जाए, जब तक कि सलाह न दी जाए।
- (f) ड्यूटी पर तैनात होने से पहले सुपरवाइजर कर्मचारियों की उपस्थिति की जाँच करेगा, प्रत्येक गार्ड को उसके पद के कर्तव्यों के बारे में सूचित करेगा और दिन के लिए लागू विशिष्ट निर्देशों को संबंधित पदों पर पारित करेगा। ड्यूटी पर गार्ड की गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- (g) अपनी ड्यूटी के दौरान वह सभी बाहर जाने वाले / आने वाले कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं की जाँच करेगा।
- (h) अपने जाँच दौरे के दौरान, सुपरवाइजर को अपने जिम्मेदारी क्षेत्र में किसी असामान्य गतिविधि की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिसे देखने पर, पहले सुधारात्मक / रोकथाम के उपाय लेने चाहिए और साथ ही सुरक्षा प्रबंधकों / चौकीदारों के माध्यम से बैंक को सूचित करना चाहिए।
- (i) मुख्य द्वारों की सफाई और उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना और दैनिक कार्य के लिए तैनात सभी सुरक्षा उपकरणों और उपकरणों के संचालन को सुनिश्चित करना।

- (j) चौकीदार, सुरक्षा प्रबंधक और निवासी कल्याण संघ के साथ संपर्क बनाए रखना और हमेशा किसी भी बदलाव के बारे में अपडेट रहना और उसी की सूचना अपने सुरक्षा गार्डों को देना।
- (k) आगंतुकों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसका कर्मचारी आने वाले या जाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार बनाए रखें।
- (l) वह हमेशा किसी भी अप्रत्याशित स्थिति को संभालने में सहायता / मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहेगा।
- (m) सुपरवाइजर को आग सुरक्षा संचालन में उचित प्रशिक्षित होना चाहिए। उसे बस्तियों में स्थापित विभिन्न अग्निशमन यंत्रों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए और वह हमेशा किसी दुर्घटना या आग की आपात स्थिति में अपने उपलब्ध कर्मचारियों के साथ सहायता के लिए तैयार रहेगा।
- (n) सुपरवाइजर को सुरक्षा कर्मचारियों के प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से जाँच करनी चाहिए।
- (o) अपनी शिफ्ट के दौरान वह सभी पदों पर जाकर तैनात सुरक्षा गार्डों द्वारा कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन की जाँच और सुनिश्चित करेगा।
- (p) सुपरवाइजर निर्धारित प्रारूपों के अनुसार शिफ्ट दस्तावेजीकरण बनाए रखेगा।
- (q) शिफ्ट सुपरवाइजर सुनिश्चित करेगा कि सभी फोन कॉल समय पर प्राप्त किए जाएँ और आवश्यकता होने पर संबंधित संदेश को नोट किया जाए और उपलब्ध होने पर उपयुक्त व्यक्तियों / अधिकारियों को तुरंत पास किया जाए।
- (r) अपनी शिफ्ट ड्यूटी के अंत में, वह अगली शिफ्ट के सुरक्षा गार्डों/सुरक्षा सुपरवाइजरों को अपनी शिफ्ट के दौरान किए गए सभी कार्यों और यदि कोई अधूरे कार्य हों तो उनके बारे में सूचित करेगा।
- (s) सुपरवाइजर सुनिश्चित करेगा कि पेट्रोल गार्ड टूर रिपोर्ट/सॉफ्ट कॉपी एजेंसी के नियंत्रण अनुभाग को भेजी जाए, जो बदले में सभी बस्तियों से सभी डेटा को संकलित करेगा और रोजाना सुबह 10.30 बजे तक बैंक को ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजेगा।
- (t) बैंक द्वारा सुरक्षा में सुधार के लिए दिए गए कोई अन्य कार्य।

2. सुरक्षा गार्डों के कर्तव्य

- (a) सभी सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी शुरू होने से दस मिनट पहले ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे और अच्छी तरह से तैयार होंगे।
- (b) सुपरवाइजर द्वारा ब्रीफिंग के बाद वे दिन के निर्देशों पर किसी भी संदेह को स्पष्ट करेंगे।

- (c) पेट्रोल ड्यूटी वाले गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान गतिशील रहें। सुरक्षा/चेक पोस्ट पर तैनात अन्य गार्ड सतर्क रहेंगे और अपने पदों पर उपलब्ध रहेंगे।
- (d) गार्ड द्वारा प्रवेश/निकास द्वारों पर और बस्ती के अंदर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और किसी भी असामान्यता को तुरंत ड्यूटी पर सुपरवाइजर को रिपोर्ट किया जाएगा।
- (e) ड्यूटी पर रहते हुए गार्ड कर्मचारियों, निवासियों और मेहमानों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे।
- (f) ड्यूटी पर रहते हुए गार्ड अनुबंध श्रमिकों के साथ विनम्र लेकिन दृढ़ व्यवहार बनाए रखेंगे, लेकिन कार्य में अनावश्यक बाधा नहीं डालेंगे।
- (g) गार्ड उन गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जिनकी जाँच और रोकथाम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है।
- (h) किसी भी संदेह की स्थिति में गार्ड इसे अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि तुरंत शिफ्ट सुपरवाइजर या सुरक्षा अधिकारी से सहायता मांगेगा।
- (i) ड्यूटी पर रहते हुए गार्ड खुली आँखों से, संवेदनशील मन से काम करेंगे और असामान्यताओं का पता लगाने के लिए पहल करेंगे।
- (j) कोई भी गार्ड, विशेष रूप से रात की शिफ्ट ड्यूटी में, कभी भी ड्यूटी पर सोता नहीं पाया जाएगा। यदि पाया जाता है, तो ड्यूटी पर सोने वाले गार्ड को RBI के सभी संपत्तियों से हटाया जाना चाहिए और सुरक्षा एजेंसी को अनुलग्नक IV में उल्लिखित जुर्माना खंड के अनुसार मौद्रिक रूप से दंडित किया जाएगा।
- (k) मुख्य द्वार पर ड्यूटी वाले गार्ड आने वाले/जाने वाले कर्मचारियों/आगंतुकों/ठेकेदारों/श्रमिकों आदि की जाँच करेंगे।
- (l) बस्तियों के मुख्य द्वार पर बूम बैरियर हमेशा नीचे की स्थिति में होना चाहिए।
- (m) मुख्य द्वार पर ड्यूटी वाले गार्ड सभी आगंतुकों, वाहनों और घरेलू सहायकों, ठेकेदारों, श्रमिकों आदि के लिए एक अलग लॉग बुक रखेंगे।
- (n) सुरक्षा गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि बस्तियों में निर्धारित समय पर पानी के पंप का संचालन हो।
- (o) पेट्रोल ड्यूटी पर गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि परिसर में सभी पानी के नल, वाल्व, पानी के हाइड्रेंट आदि की देखभाल की जाए।
- (p) ड्यूटी पर गार्ड बैंक के परिसर में स्थित पार्किंग स्थलों पर खड़े सभी वाहनों की देखभाल करेंगे।
- (q) गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि सड़क के कुत्ते और जंगली पशु परिसर में प्रवेश न करें।

- (r) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फूल के पौधे, पेड़ और लॉन न तो कर्मचारियों द्वारा और न ही बाहरी लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त हों।
- (s) सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर को बुनियादी अग्निशमन कौशल होना चाहिए और उपलब्ध अग्निशमन सिलेंडर और अन्य अग्निशमन सामग्री की मदद से आग बुझाने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। वे अग्निशमन कर्मचारियों की मदद करेंगे आग बुझाने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में।
- (t) आपात स्थितियों में, तैनात सुरक्षा कर्मचारी/सुपरवाइजर विभाग की आपदा योजना, यदि कोई हो, में परिभाषित अपनी भूमिका के अनुसार भाग लेंगे। गार्ड/सुपरवाइजर को ऐसी स्थितियों में अपनी भूमिका के लिए संवेदनशील होना चाहिए।
- (u) सुरक्षा सुपरवाइजर/गार्ड को विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों के प्रति परिपक्व व्यवहार दिखाना चाहिए।
- (v) ड्यूटी पर कोई भी सुरक्षा गार्ड परिसर तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका रिलीवर ड्यूटी के लिए नहीं आ जाता।
- (w) बैंक कार्यालय परिसर में तैनात महिला सुरक्षा गार्ड को परिसर में प्रवेश करने वाली महिला आगंतुकों / ग्राहकों की फ्रिस्किंग करनी होगी।
- (x) तैनात गार्ड बस्तियों के मुख्य द्वार पर उपस्थित होंगे और हमेशा सतर्क रहेंगे।
- (y) बैंक द्वारा सलाह दिए गए किसी भी अन्य प्रावधानों को अनुबंध में शामिल किया जा सकता है। वही ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगे।
- (z) बैंक द्वारा सुरक्षा में सुधार के लिए दिए गए कोई अन्य संबंधित कार्य।

मैं/हम यहाँ घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ा और समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

स्थान:
के हस्ताक्षर और मुहर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

ए-टेंडर ऑनलाइन MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड करना अनिवार्य है।

पृष्ठ 43 में से 103

आरबीआई बंगलुरु और बैंक के कॉलोनियों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) को प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-टेंडर

सुरक्षा कर्मियों और पेट्रोल गार्ड टूर के लिए आवश्यक विवरण

तैनाती का स्थान	निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती						कुल
	सुरक्षा सुपरवाइजर	सुरक्षा गार्ड (पुरुष)			सुरक्षा गार्ड (सामान्य शिफ्ट)		
	सामान्य शिफ्ट	1st शिफ्ट	2 nd शिफ्ट	3rd शिफ्ट	पुरुष	महिला	
RBIOQ कनिंघम रोड	1*	3	3	4	-	-	11
RBIOQ कनिंघम क्रेसेंट रोड	1*	2	2	2	-	-	7
RBI कर्मचारी क्वार्टर्स, ओस्बोर्न रोड	1*	4	4	4	-	-	13
RBIOQ, NGV, कोरमंगला	1*	3	3	4	-	-	11
RBISQ, RPC लेआउट, विजयनगर	1*	2	2	2	-	-	7
RBI कर्मचारी क्वार्टर्स, नंदिनी लेआउट	1*	5	5	5	-	-	16
RBI मुख्य कार्यालय भवन	-	2*	2*	1*	-	3*	8
कुल	6	21	21	22	-	3	73

सामान्य शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। *आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है।

विभिन्न मजदूरी में कुल श्रम शक्ति

S.No.		मुख्य गिनती
A	पुरुष सुरक्षा गार्ड	64
B	महिला गार्ड	3
C	पर्यवेक्षक	6

वेतन भाग: अनुलग्नक II

A+B (क्षेत्र A, बिना हथियार के सुरक्षा)	67
C (क्षेत्र A, हथियार के साथ सुरक्षा)	6

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त सभी निर्देश/शर्तों को पढ़ा और समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

स्थान:

टैंडरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम स्कैन की गई प्रति (PDF प्रारूप) को *MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल* के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय अपलोड करना अनिवार्य है।

अनुबंध की शर्तें और प्रावधान

क्रम संख्या	धाराएँ
1.	परिभाषाएँ
	(a) अनुबंध का अर्थ उन सभी दस्तावेजों से है जो टेंडर और उसकी स्वीकृति के साथ-साथ उसके लिए जारी किए गए संवाद और बैंक तथा ठेकेदार के बीच हस्ताक्षरित औपचारिक समझौते, उनमें संदर्भित दस्तावेजों सहित सामान्य और विशिष्ट अनुबंध शर्तें, सामान्य नियम और बोलीदाताओं के लिए निर्देश, अखंडता संधि, आदान-प्रदान किए गए पत्र और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों से बनते हैं। इन सभी दस्तावेजों को एक अनुबंध माना जाएगा और वे एक-दूसरे के पूरक होंगे।
	(b) अनुबंध में, निम्नलिखित व्यंजनों का अर्थ, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, नीचे दिए गए अनुसार होगा: -
	i. “समझौता” का अर्थ ठेकेदार और बैंक के बीच कार्य के निष्पादन के लिए हस्ताक्षरित समझौता है।
	ii. “स्थल” का अर्थ बैंक के कार्यालय परिसर और आवासीय कॉलोनियाँ हैं।
	iii. “कार्य” का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु के विभिन्न संपत्तियों पर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करना है।
	iv. “बैंक” का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक, 10/3/8, नृपतुंग रोड, बेंगलुरु 560001 है।
	v. “टेंडर दस्तावेज” का अर्थ बैंक द्वारा बोलीदाताओं को जारी किया गया दस्तावेज है जिसमें कार्य के लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं।
	vi. “दिन” का अर्थ कैलेंडर दिन है।
	vii. “कार्य दिवस” का अर्थ वे दिन हैं जब बैंक का कार्यालय कार्यरत होता है, अर्थात् सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर।
	viii. “महीना” का अर्थ कैलेंडर महीना है।
	ix. “वर्ष” का अर्थ वित्तीय वर्ष है।
	x. “बोलीदाता (s)” का अर्थ टेंडर दस्तावेज की शर्तों के अनुसार बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पक्ष हैं।

	<p>xi. “ठेकेदार” का अर्थ वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है, चाहे निगमित हो या न हो, जो कार्य करती है और ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या ऐसी फर्म या कंपनी के सदस्य या ऐसी फर्म या कंपनी के उत्तराधिकारी और ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के अनुमत अधिकारियों को शामिल करता है।</p> <p>xii. “बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि” का अर्थ बैंक द्वारा नियुक्त और वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी हैं जो बैंक के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं और दैनिक आधार पर कार्य के निष्पादन की देखरेख करते हैं।</p> <p>xiii. “अनुबंध राशि” का अर्थ सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों से गणना की गई कुल राशि है और जैसा कि टेंडर दस्तावेज में आवश्यकता है और बैंक द्वारा स्वीकृत और कार्य के पुरस्कार पत्र में दर्शाया गया है।</p>
	<p>xiv. “लिखित सूचना या लिखित नोटिस” का अर्थ लिखित, टाइप किए गए या मुद्रित अक्षरों में सूचना है जो (जब तक व्यक्तिगत रूप से या अन्यथा साबित न हो कि इसे प्राप्त किया गया है) पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जाती है और जब सामान्य डाक प्रक्रिया के अनुसार इसे डिलीवर किया जाना चाहिए या भेजा जाना चाहिए, तब इसे प्राप्त माना जाएगा। किसी भी स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजा गया संचार भी लिखित सूचना माना जाएगा।</p> <p>xv. “लिखित” में कोई भी लिखित कागजी दस्तावेज, ईमेल संवाद और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश शामिल है।</p> <p>xvi. “कार्य की शुरुआत” का अर्थ वह तारीख है जो कार्य आदेश में “शुरुआत की तारीख” के रूप में निर्दिष्ट की गई है।</p> <p>xvii. “जिम्मेदारी के क्षेत्र” से अभिप्राय इस टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड को सौंपे गए कर्तव्यों से है।</p>
2.	<p>टेंडर की पर्याप्तता</p> <p>ठेकेदार को बोली लगाने से पहले अपने टेंडर की सही और पर्याप्तता के बारे में संतुष्ट माना जाएगा और मूल्य बोली में उद्धृत दरों और मूल्यों को, जब तक अन्यथा प्रदान न किया गया हो, अनुबंध के तहत उनके सभी दायित्वों और कार्य के उचित पूर्णता और रखरखाव के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करना चाहिए।</p>
3.	<p>अनुबंध अवधि</p> <p>(a) अनुबंध शुरू में कार्य आदेश में निर्दिष्ट तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगा, जब तक कि समाप्ति धारा के अनुसार पहले समाप्त न किया जाए।</p> <p>(b) यह अनुबंध अधिकतम दो वर्षों के लिए (एक वर्ष या छोटी अवधि के लिए एक बार में) बैंक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर ठेकेदार के संतोषजनक प्रदर्शन</p>

	<p>के अधीन और बैंक के एकमात्र विवेक पर, समान शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन आगे नवीनीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। अनुबंध के दौरान दरें स्थिर रहेंगी और एजेंसी अनुबंध अवधि के दौरान सहमत शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि की मांग नहीं करेगी। जब भी केंद्र सरकार के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत चौकी और रक्षा (हथियारों के साथ/बिना) के कार्यों में नियुक्त कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के संबंध में अधिसूचना जारी की जाती है, तो अनुबंध मूल्य में संशोधित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वृद्धि/एस्केलेशन दी जाएगी। अनुबंध का नवीनीकरण अनुबंध अवधि के समाप्त होने के बाद, समान शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, वार्षिक आधार पर किया जा सकता है।</p> <p>(c) यदि अनुबंध नवीनीकृत या विस्तारित किया जाता है, तो ठेकेदार को नवीनीकृत अनुबंध राशि के लिए एक नया समझौता, प्रदर्शन बैंक गारंटी और बीमा नीतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी, जो नवीनीकृत अनुबंध अवधि के लिए मान्य होंगी।</p>
4.	<p>प्रदर्शन बैंक गारंटी</p> <p>(a) ठेकेदार को 'पुरस्कार पत्र' प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर, अनुबंध के सफल निष्पादन के लिए एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) एक अनुसूचित बैंक से निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-IX) में प्रस्तुत करनी होगी (जिसकी वैधता अनुबंध की समाप्ति के 60 दिन अधिक के लिए होगी) जो अनुबंध राशि (जीएसटी सहित) के पांच प्रतिशत के बराबर होगी और भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु के पक्ष में होगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्य के पुरस्कार की तारीख से PBG प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय सीमा - 14 दिन। धारा में निर्दिष्ट अवधि से अधिक PBG प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अधिकतम समय बिना जुर्माने के - 7 दिन। धारा में निर्दिष्ट अवधि से अधिक PBG प्रस्तुत करने के लिए अनुमत अधिकतम समय 0.1 प्रतिशत प्रति दिन की दर से देरी शुल्क के साथ - 7 दिन। <p>(b) <u>PBG की रिलीज</u>: PBG को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छह महीने बाद, बिना ब्याज के, केवल तभी रिलीज किया जाएगा जब अनुबंध के सफल निष्पादन और ठेकेदार या उसके कर्मचारियों से कोई दायित्व न होने की पुष्टि हो जाए। यदि कोई शिकायत या बकाया राशि है, तो प्रदर्शन बैंक गारंटी को सुरक्षा जमा के रूप में माना जाएगा और सभी बकाया राशि, दायित्व आदि के समायोजन के बाद ही रिलीज किया जाएगा।</p> <p>(c) <u>PBG का जब्त होना</u>: PBG निम्नलिखित मामलों में जब्त किया जाएगा:</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्य की शुरुआत न होने पर, अनुबंध दायित्वों का अनुपालन न करने या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने पर। अनुबंध के प्रावधानों के तहत अखंडता संधि का उल्लंघन करने पर।

	<p>(iv) खंड IV (b) की धारा 32 के अनुसार।</p>
5.	<p>सुरक्षा सुपरवाइजर / सुरक्षा गार्ड की शैक्षिक / योग्यता / शारीरिक आवश्यकताएँ</p> <p>(a) कार्य के निष्पादन के लिए, ठेकेदार को चिकित्सा, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट व्यक्तियों की तैनाती करनी चाहिए। ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति समय पर और अनुशासित हों और अपने कर्तव्य के निष्पादन में सतर्क रहें। ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति पूर्व सैनिक या उच्च अखंडता और अच्छे आचरण वाले ठीक से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी (सुरक्षा गार्ड / सुरक्षा सुपरवाइजर) होने चाहिए।</p> <p>(b) एजेंसी 21 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक आयु के गार्ड तैनात नहीं करेगी। सुपरवाइजर को पर्याप्त अनुभव होना चाहिए लेकिन 55 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।</p> <p>(c) सुरक्षा गार्ड को:</p> <ol style="list-style-type: none"> KPSAR 2008 की धारा 6 उप-धारा (a) से (c) के अनुसार शारीरिक फिटनेस का मानक होना चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या समअनुभाग परीक्षा होनी चाहिए। KPSAR 2008 की धारा 5 उप-धारा (1) से (7) के अनुसार सुरक्षा प्रशिक्षण होना चाहिए। RBI के साइटों पर तैनाति से पहले बोलीदाता के रॉस्टर में न्यूनतम छह महीने के लिए होना चाहिए।

	<p>v. बुनियादी अग्निशमन और CCTV निगरानी का ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>बैंक को इनमें से किसी भी दस्तावेज की मांग करने का अधिकार है।</p>
6.	<p>तैनाती, कार्य आवंटन एवं समन्वय</p> <p>(a) कार्य की जिम्मेदारी संभालने के बाद, ठेकेदार शिष्टाचार एवं सुरक्षा सेल (P&S सेल) या बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि के परामर्श से तंत्र बनाएगा और अपने कर्मचारियों को कार्य आवंटित करेगा।</p> <p>(b) तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें किसी भी परिवर्तन के लिए P&S सेल से परामर्श किया जाएगा। प्रत्येक परिवर्तन के बाद ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों की संशोधित सूची उपलब्ध कराई जाएगी।</p> <p>(c) यदि कोई सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड अवकाश/अनुपस्थित होता है, तो ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि समय पर प्रतिस्थापन की व्यवस्था की जाए। ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को आध-होम आधार पर नहीं बदला जाए। तैनात कर्मचारियों की सूची में किसी भी परिवर्तन के लिए बैंक के साथ परामर्श किया जाएगा।</p> <p>(d) यदि बैंक द्वारा किसी अनुचित अवलोकन, कर्तव्य की उपेक्षा आदि के कारण या बैंक द्वारा बताए गए अन्य किसी कारण से कर्मचारी को बदलना आवश्यक हो, तो एजेंसी कर्मचारी को बदल देगी।</p> <p>(e) ठेकेदार प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त रजिस्टर रखेगा जिसमें दैनिक तैनाती का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह रजिस्टर बैंक के सुरक्षा अधिकारी को कॉलोनी में चौकीदारों के माध्यम से सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बिल उठाते समय, प्रत्येक माह के लिए शिफ्ट वार तैनात कर्मचारियों का विवरण दिखाया जाना चाहिए। ठेकेदार को बिल उठाए जा रहे माह के लिए सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड के व्यक्तिगत बैंक खातों में मजदूरी के भुगतान के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो लागू नियमों एवं कानूनों के अनुसार हो।</p> <p>(f) ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को बैंक द्वारा कोई आवास सुविधा या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।</p> <p>(g) प्रतिस्थापक - निविदाकर्ता को दरों का उल्लेख करते समय प्रतिस्थापक की तैनाती एवं उसके भुगतान की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिस्थापक की तैनाती के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी, अर्थात् उद्धृत राशि में प्रतिस्थापक शुल्क, नियमित सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड की तैनाती के अलावा, सम्मिलित होगी।</p>

7.	<p>सुरक्षा गार्ड की शिफ्ट</p> <p>ठेकेदार सुरक्षा गार्ड को आठ घंटे की शिफ्ट में तैनात करेगा, और वे तीन शिफ्ट (6.00 बजे से 2.00 बजे तक, 2.00 बजे से 10.00 बजे तक और 10.00 बजे से 6.00 बजे तक) में दिन-रात तैनात रहेंगे। सेवाएं सभी दिनों, शनिवार, रविवार और अवकाशों सहित, प्रदान की जाएंगी। लेकिन शिफ्ट के समय बदले जा सकते हैं और बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे। लगातार 8 घंटे से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।</p>
8.	<p>सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड का परिवर्तन / आंदोलन</p> <p>(a) बैंक और उसके आवासीय कॉलोनियों में तैनात सुरक्षा गार्ड को आवश्यकता पड़ने पर बैंक के बेंगलुरु स्थित संपत्तियों के भीतर छह महीने में एक बार घुमाया जा सकता है। सुरक्षा सुपरवाइजर को वार्षिक आधार पर घुमाया जाएगा। इसके अलावा, यदि अनुबंध नवीनीकृत किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड का न्यूनतम 25 प्रतिशत वार्षिक आधार पर घुमाया जाए और फर्म के बाहरी स्थानों से समान रूप से योग्य सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(b) ठेकेदार किसी भी बैंक के परिसर में अपने सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को एक दिन में 8 घंटे से अधिक तैनात नहीं करेगा, अन्यथा बैंक दंड खंड के अनुसार दंड लगाने का अधिकार रखता है।</p> <p>(c) ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को बैंक के परिसर से एक वर्ष की तैनाती पूरी होने से पहले नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कोई कमी न हो।</p>
9.	<p>सुरक्षा गार्ड का प्रतिस्थापन / हटाना</p> <p>(a) ठेकेदार बैंक द्वारा सूचित किए गए अपने कर्मचारियों के खिलाफ उचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा। यह शर्त है कि यदि ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए किसी सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन नहीं किया जाता है या उनका आचरण अनुचित होता है या वे अनुचित या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो ठेकेदार तुरंत उन्हें हटाएगा और प्रतिस्थापन प्रदान करेगा तथा बैंक की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा।</p> <p>(b) यदि ठेकेदार के कर्मचारियों के आचरण/अनुचित व्यवहार के कारण कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो बैंक द्वारा उचित दंड लगाया जाएगा और वह दंड ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, संबंधित कर्मचारी को तुरंत तैनाती से हटा दिया जाएगा।</p> <p>(c) अनुबंध की समाप्ति या समाप्ति के बाद, ठेकेदार बैंक के परिसर से अपने द्वारा तैनात सभी सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को हटाएगा और सुनिश्चित</p>

	करेगा कि ऐसे व्यक्ति बैंक में किसी भी प्रकार की बाधा/अवरोध/समस्या नहीं पैदा करेंगे, चाहे स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से।
10.	आपातकालीन प्रावधान अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में, बैंक ठेकेदार को सलाह दे सकता है कि सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को बैंक के परिसर के भीतर रहने के लिए कहा जाए, जिस अवधि के दौरान बैंक द्वारा उन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
11.	तैनात कर्मचारियों की पहचान ठेकेदार अपने द्वारा तैनात व्यक्तियों के नाम, माता-पिता का नाम, निवास पता, आयु आदि के साथ-साथ हाल की तस्वीर और पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज (OVD) के विवरण प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड की उचित पहचान के लिए, उन्हें तस्वीर/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करने चाहिए और ऐसे कर्मचारी कार्य के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।
12.	पुलिस सत्यापन ठेकेदार द्वारा पुलिस सत्यापन के बिना किसी सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को तैनात नहीं किया जाएगा। ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों के पृष्ठभूमि की जांच स्थानीय पुलिस अधिकारी से करवाई जाएगी।
13.	आकस्मिक जांच बैंक को ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्तियों पर आकस्मिक जांच करने का अधिकार होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं।
14.	अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बैंक के परिसर में अग्नि सुरक्षा घटनाओं के लिए सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी होगी और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों को तत्काल बैंक के निर्दिष्ट अधिकारी को सौंपना होगा।
15.	प्रशिक्षण ठेकेदार अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार उचित एवं संतोषजनक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अपनी लागत पर प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करेगा। बैंक को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए बोलीदाताओं के कार्यालय और/या प्रशिक्षण सुविधा का निरीक्षण करने का अधिकार है।
16.	उपकरण / वर्दी ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि बैंक के संपत्ति पर तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड को वार्षिक रूप से न्यूनतम दो सेट वर्दी उपलब्ध कराई जाए और वे हमेशा उचित वर्दी में रहें। ठेकेदार फ्लोरेसेंट जैकेट, जिस पर पीठ पर "सुरक्षा" लिखा हो, टोपी/हेलमेट, चमड़े के जूते, मोजे, लैनिंगर्ड जिसमें सीटी हो, सर्दियों के लिए जर्सी, बेल्ट, बैज, बरसात के मौसम के लिए रेनकोट/छाता, लोडेड टॉर्च और बैटन सभी पदों पर बैंक में शामिल

	करेगा। उपरोक्त वस्तुओं की लागत को मूल्य बोली में उल्लेखित किया जाना चाहिए। सभी कॉलोनियों में एक कार्य मोबाइल हैंडसेट (सक्रिय) भी प्रदान किया जाना चाहिए।
17.	ठेकेदार के दायित्व
	(a) सुरक्षा गार्ड को बैंक के साइटों पर तैनात होने से पहले ठेकेदार के रोस्टर पर न्यूनतम छह महीने से नियुक्त होना चाहिए और सुरक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा गैजेट्स के बुनियादी संचालन का ज्ञान होना चाहिए।
	(b) अनुबंध में अन्यत्र उल्लिखित सभी आवश्यक रिपोर्ट और अन्य जानकारी बैंक को आवश्यकतानुसार तुरंत प्रदान की जाएगी और बैंक के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।
	(c) ठेकेदार और उसके कर्मचारी बैंक की संपत्ति को नुकसान, विनाश और अपव्यय से बचाने के लिए उचित और उचित सावधानियां बरतेंगे।
	(d) ठेकेदार बैंक द्वारा दिए गए जिम्मेदारी क्षेत्रों का दुरुपयोग नहीं करेगा और जानबूझकर उन संपत्तियों के किसी भी प्रभाव को किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देगा/नहीं देगा।
	(e) ठेकेदार इन निर्देशों में उल्लिखित और समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार और दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति से, सुरक्षा सेवाओं, कार्यों, मामलों और व्यवस्थाओं के प्रशासन, पर्यवेक्षण और चालन से संबंधित सभी ऐसे कार्य करेगा और कराएगा।
	(f) ठेकेदार के कर्मचारियों के किसी भी कार्य के कारण उत्पन्न किसी भी मुकदमे (उपभोक्ता आयोगों सहित) से उत्पन्न कोई भी दायित्व ठेकेदार द्वारा सीधे वहन किया जाएगा, जिसमें सभी खर्च/जुर्माने शामिल हैं।
	(g) ठेकेदार को बेंगलुरु में दिन-रात नियंत्रण अनुभाग सेवा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम होनी चाहिए।
18.	ठेकेदार का तैनात कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व
	(a) "कार्य का क्षेत्र" (अनुबंध-1) में उल्लिखित सेवाओं के लिए ठेकेदार द्वारा तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर/सुरक्षा गार्ड सभी उद्देश्यों के लिए ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और ऐसे तैनात व्यक्ति ठेकेदार के नियंत्रण और निगरानी में रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में, ऐसे व्यक्तियों और बैंक के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध अप्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से उत्पन्न नहीं होगा। ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा कि

	<p>यह सुनिश्चित करना कि उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों के संबंध में बैंक पर कोई दायित्व न आए।</p> <p>(b) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा और इस संबंध में सभी विकासों की जानकारी बैंक को देगा।</p> <p>(c) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के सभी बकाया भुगतान करेगा और बैंक को इस संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त और क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।</p> <p>(d) ठेकेदार बैंक के परिसर में कोई अवैध गतिविधि नहीं करेगा या अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करेगा।</p> <p>(e) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के व्यवहार, उनके दिखावे और वर्दी के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति अच्छे आचरण, सहयोग और अनुशासन सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(f) अनुबंध की समाप्ति पर, ठेकेदार सभी वैधानिक भुगतान अपने कर्मचारियों को करने और अन्य सभी वैधानिक दायित्व और दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक के पक्ष में उपयुक्त रिहाई प्राप्त करेगा, ताकि बैंक पर कोई दायित्व या दायित्व न आए।</p> <p>(g) सुपरवाइजर को इस अनुबंध की शर्तों, इस टेंडर दस्तावेज में दिए गए कार्य के क्षेत्र के अनुसार काम करना होगा और बैंक के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सभी उचित निर्देशों का पालन करना होगा।</p> <p>(h) ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि तैनात व्यक्ति बैंक की किसी भी संपत्ति को बिना बैंक के निर्धारित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित वैध गेट पास या अधिकारियों/कर्मचारियों के क्वार्टर में निवासियों से स्पष्ट अनुमति के बाहर न निकालें। धोखाधड़ी, साजिश और/या गुप्त उद्देश्य के खिलाफ एक सुरक्षा के रूप में, गेट पास पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित और अधिकृत बैंक के अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर ठेकेदार को लिखित रूप से सूचित किए जाएंगे और यदि कोई हो, तो बाद के परिवर्तन भी।</p> <p>(i) एजेंसी बैंक के साथ ऐसी सेवा की अवधि के दौरान निजी गार्डों के लिए पूरे जोखिम कवरेज के लिए उत्तरदायी होगी।</p> <p>(j) एजेंसी तैनात करने से पहले स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से कर्मचारियों के पृष्ठभूमि की जांच करेगी और इस संबंध में बैंक को एक आश्वासन प्रस्तुत करेगी।</p> <p>(k) एजेंसी उपयुक्त रजिस्टर बनाएगी जिन पर प्रत्येक स्थान पर दैनिक तैनाती का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह बस्ती के देखभालकर्ताओं और बैंक भवन में सुरक्षा</p>
--	--

अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। बिल उठाते समय, प्रत्येक महीने के दौरान तैनात कर्मचारियों के तैनाती विवरण, शिफ्ट वार, दिखाए जाने चाहिए। एजेंसी को बैंक के उपर्युक्त अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (प्रारूप पर) आश्वासन देना होगा, जिसमें लागू नियमों और कानूनों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने का उल्लेख हो।

(l) इयूटी पर होने के दौरान दुर्घटना या मृत्यु के कारण उत्पन्न सभी दायित्वों को एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एजेंसी पर्याप्त बीमा कवर बनाए रखेगी।

(m) एजेंसी अपने खर्च पर, अपने सुरक्षा गार्ड/सुपरवाइजर आदि के लिए व्यापक बीमा (वेतन के अनुसार कर्मचारी मुआवजा नीति) की व्यवस्था करेगी और बनाए रखेगी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को मुख्य नियोक्ता के रूप में दर्शाया जाएगा। इसकी प्रति बैंक को प्रदान की जाएगी।

(n) सभी आवश्यक रिपोर्ट (पेट्रोल रिपोर्ट आदि) और अन्य जानकारी एजेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जाएगी।

(o) एजेंसी बैंक के साथ बातचीत के लिए अपने कार्यालय में एक एकल संपर्क बिंदु नियुक्त करेगी। एजेंसी को हर सप्ताह एक बार बैंक के साथ बातचीत के लिए अपने अधिकृत अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए ताकि मुद्दों को सुलझाया जा सके।

(p) एजेंसी और उसके कर्मचारी बैंक द्वारा उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों को नुकसान, विनाश, अपव्यय या दुरुपयोग से बचाने के लिए उचित और उचित सावधानियां बरतेंगे और जानबूझकर किसी भी व्यक्ति या कंपनी को उनके द्वारा प्रबंधित संपत्ति के किसी भी प्रभाव को उधार नहीं देंगे।

(q) एजेंसी बैंक की उसे सौंपी गई सभी संपत्ति और उपकरणों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(r) एजेंसी के सुरक्षा कर्मचारी या कोई अन्य कर्मचारी किसी भी आकार में कोई कृतज्ञता या पुरस्कार नहीं स्वीकार करेंगे।

(s) एजेंसी के पास अपने खर्च पर प्रशिक्षण के उद्देश्य से पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री और एक्स-सर्विसमैन/एक्स-पैरा मिलिट्री फोर्सेस/एक्स-पुलिस से शिक्षकों वाला अपना स्थापना/प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए ताकि अनुबंध के तहत उसके दायित्वों और जिम्मेदारियों का सही और संतोषजनक प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके।

(t) एजेंसी के साथ उनके रोजगार समझौते के शर्तों के अनुसार, सुरक्षा कर्मचारी बैंक के परिसर में तैनात रहने तक किसी भी पेशेवर या अन्य काम के लिए पुरस्कार या अन्यथा, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, एजेंसी और बैंक के लिए काम नहीं करेंगे।

	<p>(u) यदि किसी भी लाभ के कारण बैंक को नुकसान होता है, जो एजेंसी की किसी भी लापरवाही के परिणामस्वरूप होगा जो बैंक द्वारा आयोजित जांच के बाद स्थापित किया जाएगा, तो ऐसा नुकसान एजेंसी से नुकसान के मूल्य तक दावा किया जा सकता है। बैंक का निर्णय एजेंसी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p> <p>(v) एजेंसी इस दिशा में उल्लिखित और दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निर्देशों के अनुसार, व्यवस्थाओं के प्रशासन, सुपरिवेक्षण और आचरण से संबंधित सभी ऐसी सुरक्षा और संबंधित सेवाएं, कार्य, मामले और चीजें करेगी और करेगी।</p> <p>(w) एजेंसी बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों को हटाने, पुनर्तैनात करने या प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन बैंक को पूर्व सूचना देने के साथ-साथ सहमत ताकत बनाए रखना होगा।</p> <p>(x) एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी बैंक के परिसर में तैनात रहते समय, बैंक द्वारा अनुबंध में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अन्यथा वर्किंग पेनल्टी क्लॉज में उल्लिखित दंड(ए) लगाया जाएगा। इस खाते पर दंड एजेंसी के बिलों से काटा जाएगा।</p> <p>(y) नियुक्त कर्मचारियों को बैंक के कर्मचारियों/आगंतुकों आदि के साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करना होगा और अत्यधिक अनुशासन की छवि प्रस्तुत करनी होगी।</p> <p>(z) एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षा गार्डों को ठीक से, साफ और शानदार ढंग से परिधान करना चाहिए और ड्यूटी के दौरान अपने पहचान पत्र दिखाने चाहिए। उनकी वर्दी आयरन की जानी चाहिए और जूते काले और पॉलिश किए जाने चाहिए।</p> <p>(aa) एजेंसी को बैंक के साथ परामर्श करके सभी बस्तियों/बैंक परिसर में एक प्रमुख स्थान पर "आदर्श वर्दी वाली तस्वीर" प्रदर्शित करनी चाहिए।</p> <p>(bb) भुगतान हर महीने के अंत में एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मचारियों द्वारा मनाए गए/संचालित वास्तविक शिफ्ट के आधार पर किया जाएगा और बैंक के प्रतिनिधि और एजेंसी/उसके प्रतिनिधि/उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। बैंक किसी भी अन्य दावे को स्वीकार नहीं करेगा।</p> <p>(cc) यदि अनुबंध के तहत एजेंसी के किसी कर्मचारी(यों) की अनुपस्थिति होती है, तो बैंक द्वारा वर्किंग पेनल्टी क्लॉज में उल्लिखित दंड लगाया जाएगा और वह एजेंसी के बिलों से काटा जाएगा। बैंक द्वारा एजेंसी को एक आधिकारिक चेतावनी पत्र भी जारी किया जाएगा क्योंकि इसे बैंक की संपत्ति की सुरक्षा को "उच्च जोखिम" स्तर तक उजागर करने के रूप में माना जाएगा।</p> <p>(dd) यदि अनुबंध के तहत एजेंसी के किसी कर्मचारी को समय पर रिपोर्ट नहीं करने में विफलता होती है और एजेंसी समय पर उसके लिए उपयुक्त</p>
--	--

	<p>प्रतिस्थापन प्रदान करने में असमर्थ होती है, तो इसे अनुपस्थिति माना जाएगा और वर्किंग पेनल्टी क्लॉज में उल्लिखित दंड लगाया जाएगा।</p> <p>(ee) यदि किसी शिकायत के आधार पर एजेंसी के कर्मचारियों के अनुचित आचरण/व्यवहार के लिए दंड लगाया जाएगा और वह एजेंसी के बिल से काटा जाएगा। इसके अलावा, संबंधित कर्मचारी को तुरंत तैनाती से हटा दिया जाएगा। बैंक द्वारा एक आधिकारिक चेतावनी पत्र भी जारी किया जाएगा।</p> <p>(ff) एजेंसी के कर्मचारियों के किसी भी कार्य के कारण उत्पन्न किसी भी मुकदमे (उपभोक्ता न्यायालयों सहित) से उत्पन्न कोई भी दायित्व सीधे एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें सभी खर्च/जुर्माने शामिल हैं।</p> <p>(gg) यदि कोई धन, श्रम अधिकारियों के किसी निर्देश या श्रम कानूनों या विनियमों के तहत किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप, बैंक द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, तो ऐसा धन एजेंसी द्वारा देय माना जाएगा। बैंक को ठेकेदार को देय धन या प्रदर्शन सुरक्षा से कटौती करके राशि वसूल करने का अधिकार होगा।</p> <p>(hh) एजेंसी किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई उप-ठेकेदार नहीं नियुक्त करेगी या अनुबंध को स्थानांतरित नहीं करेगी।</p> <p>(ii) एजेंसी निम्नलिखित वस्तुओं पर आने वाले सभी खर्चों को वहन करेगी, अर्थात् सुरक्षा कर्मचारियों के लिए टॉर्च और सेल, लाठी/बॉलम और अन्य उपकरणों की आपूर्ति, सुरक्षा चौकियों पर इयूटी चार्ट और रजिस्टर लिखने और आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड रखने के लिए स्टेशनरी। एजेंसी अपने सुरक्षा उपकरणों जैसे "पेट्रोल गार्ड टूर" की आपूर्ति करेगी ताकि सुरक्षा गार्डों के द्वारा बैंक के परिसर के भीतर विवादास्पद बिंदुओं (बैंक अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित) की पेट्रोलिंग की निगरानी की जा सके।</p> <p>(jj) एजेंसी प्रत्येक छह बस्तियों में एक पेट्रोल गार्ड टूर सिस्टम प्रदान/पेश करेगी - प्रत्येक में न्यूनतम 12 रीडर पॉइंट। एजेंसी दिन/रात की पेट्रोलिंग की निगरानी करेगी और डेटा बैंक के साथ साझा करेगी। एजेंसी बैंक के साथ समन्वय करके प्रत्येक बस्ती में रीडर पॉइंट की पहचान और स्थान निर्धारित करेगी।</p> <p>(kk) एजेंसी अनुबंध की अवधि के दौरान या अन्यथा अनुबंध समाप्त होने के बाद भी बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करेगी।</p> <p>(ll) ठेकेदार को बेंगलुरु में 24 घंटे नियंत्रण अनुभाग सेवा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल होने चाहिए।</p> <p>(mm) एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि बैंक के परिसर में तैनात सभी सुरक्षा गार्डों के पास एक बचत बैंक खाता है और एजेंसी द्वारा NEFT के माध्यम से उन्हें वेतन दिया जाता है और मजदूरी हर महीने की 10 तारीख तक दी जानी चाहिए।</p>
--	--

19.	<p>ठेकेदार द्वारा सभी प्रासंगिक वैधानिक कानूनों का पालन किया जाना चाहिए</p>
	<p>(a) ठेकेदार को कार्य से संबंधित सभी प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए जो लागू हो सकते हैं, जैसे कि</p> <ul style="list-style-type: none"> i. अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970। ii. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948। iii. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923। iv. मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936। v. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952। vi. बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965। vii. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948। viii. नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938। ix. बाल श्रमिक (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986। x. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961। xi. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निपटान) अधिनियम, 2013 xii. और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं। <p>(b) प्रदान किए गए सुरक्षा और अन्य कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और उपरोक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों/कानूनों के तहत सभी वैधानिक दायित्व ठेकेदार द्वारा भुगतान किए जाएंगे। ठेकेदार बैंक को उन अधिनियमों या अन्य कानूनों के तहत बैंक पर किए गए सभी दावों से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा जो अनुबंध की अवधि के दौरान लागू होते हैं।</p> <p>(c) ठेकेदार को श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ अनुबंध श्रमिक (R&A) अधिनियम 1970 और बेंगलुरु वर्क कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम (जहां लागू हो) के तहत पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>(d) ठेकेदार सभी नगरपालिका और अन्य विनियमों का पालन करेगा और अपने खर्च पर आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां प्राप्त करेगा, जिसमें अनुबंध श्रमिक (R&A) अधिनियम, 1970 आदि के तहत लाइसेंस भी शामिल हैं। बैंक किसी भी तरह से ठेकेदार द्वारा ऐसी स्थापनाओं के संचालन के संबंध में नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार इस उद्देश्य के लिए सभी संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों के साथ संपर्क और अनुसरण के लिए उत्तरदायी होगा।</p>

	<p>(e) ठेकेदार, बाल श्रमिक (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।</p> <p>(f) ठेकेदार को लागू वेज कोड, 2019 (वेज कोड), इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 (IR कोड), सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 (SS कोड) और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 (OSH कोड, साथ ही वेज कोड, IR कोड और SS कोड, श्रम कोड), PF/श्रम कानून, ESI, किसी भी अन्य विनियम, कानून, आदि के अनुपालन के कारण किसी भी दावे के लिए एकमात्र उत्तरदायी माना जाएगा।</p>
20.	<p>पीएफ और ईएसआई विनियमनों के साथ अनुपालन</p> <p>ठेकेदार को 'कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948' के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए गए नियोक्ता के योगदान का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को ईएसआई और ईपीएफ योगदान केवल बेंगलुरु में स्थानीय रूप से जमा करना होगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मचारियों को तुरंत ईएसआई कार्ड और ईपीएफ कार्ड दिए जाएं। किसी भी परिस्थिति में, यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर पीएफ/ईएसआई सदस्यता आदि के लिए कर्मचारी/नियोक्ता के योगदान का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक को इस समझौते या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय या उत्पन्न होने वाली किसी भी राशि से समान राशि वसूल करने और उसे संबंधित अधिकारियों को बैंक में तैनात कर्मचारियों के विवरण सहित भेजने का अधिकार होगा।</p>
21.	<p>न्यूनतम मजदूरी के कानूनों/विनियमों के साथ अनुपालन</p> <p>(a) केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी लागू होगी। ठेकेदार को अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। किसी भी परिस्थिति में मजदूरी नकद में नहीं दी जाएगी। ठेकेदार को मजदूरी का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा और उनके द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को एक मजदूरी स्लिप जारी करनी होगी। कर्मचारियों को मजदूरी केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके बैंक खाते में दी जाएगी और भुगतान के प्रमाण के रूप में ठेकेदार के लेन-देन रिकॉर्ड/बैंक स्टेटमेंट की प्रति बैंक को भुगतान के लिए जमा करनी होगी। इसके अलावा, उन्हें अपने कर्मचारियों को अनुबंधित श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। ठेकेदार को या तो स्वयं या अन्यथा श्रम विनियमों का अनुपालन करना होगा जो समय-समय पर मजदूरी के भुगतान, मजदूरी अवधि, मजदूरी से कटौती, अनुचित कटौती की वसूली, मजदूरी बुक, मजदूरी स्लिप, मजदूरी पैमाने और रोजगार की शर्तों के प्रकाशन, निरीक्षण और अवधि वापसी जमा करने से संबंधित हैं।</p> <p>(b) यदि ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध को पूरा करने के लिए तैनात किए गए किसी व्यक्ति के मजदूरी के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान करने में</p>

	<p>चूक होती है और यदि श्रम अधिकारियों के कार्यालय में इसके लिए दावा दायर किया जाता है और श्रम अधिकारियों को इसका प्रमाण संतोषजनक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक ठेकेदार के नाम पर उक्त श्रम अधिकारियों को ऐसे दावे का भुगतान कर सकता है और ऐसी राशि बैंक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जा सकती है।</p> <p>(c) यदि किसी भी राशि का भुगतान श्रम अधिकारियों के किसी भी निर्देश या श्रम कानूनों या विनियमों के तहत किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा किया जाना है, तो ऐसी राशि को ठेकेदार द्वारा बैंक को सात दिनों के भीतर देय माना जाएगा। बैंक को ठेकेदार से उस राशि को ठेकेदार को देय राशि या प्रदर्शन बैंक गारंटी से काटकर वसूल करने का अधिकार होगा।</p> <p>(d) प्रदान किए गए सुरक्षा कर्मी एजेंसी के कर्मचारी होंगे और एजेंसी द्वारा ईएसआई, पीएफ, श्रमिक क्षतिपूर्ति और अन्य सांविधिक भुगतान जैसे बोनस आदि सहित सभी सांविधिक दायित्वों का पालन किया जाएगा।</p> <p>(e) सुरक्षा एजेंसी को श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी (केंद्र सरकार दरें) और (अनुबंधित श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970), ईपीएफ आदि के तहत सुरक्षा कर्मियों के संबंध में सभी प्रासंगिक कानूनों और सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा और किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा एजेंसी पर लगाए गए किसी भी अन्य सांविधिक दायित्व। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जाना अनुबंध समाप्त करने के लिए पर्याप्त कारण होगा।</p> <p>(f) जहां तक ईपीएफ का संबंध है, एजेंसी का कर्तव्य होगा कि वह आरपीएफसी द्वारा आवंटित पीएफ कोड नंबर प्राप्त करे जिसके तहत तैनात कर्मियों के भुगतान से कटौती की गई पीएफ सदस्यता और समान नियोक्ता के योगदान की राशि प्रत्येक महीने के अंत के 7 दिनों के भीतर संबंधित पीएफ अधिकारियों के पास जमा की जाए, कर्मचारियों के पूर्ण विवरण के साथ। इस पहलू पर गैर-अनुपालन के कारण किसी भी जुर्माने/दायित्व की स्थिति में, जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी पर होगी।</p> <p>(g) पीएफ/ईएसआई आदि के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान के जमा करने के प्राप्ति पत्र एजेंसी द्वारा प्रत्येक महीने बैंक को मासिक बिल के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।</p>
22.	<p>ठेकेदार द्वारा देय कर/कर</p> <p>(a) इस अनुबंध के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर, शुल्क, कर और रॉयल्टी या कोई अन्य लागू कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा।</p> <p>(b) बैंक ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठेकेदार का दायित्व है कि वह कर अधिकारी को</p>

	<p>जीएसटी का भुगतान करे। ठेकेदार को जीएसटी और अन्य रिटर्न जमा करने का सख्ती से पालन करना होगा। दस्तावेजी साक्ष्य को बैंक को वर्तमान निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>(c) सरकार द्वारा लगाए गए आयकर, जीएसटी पर टीडीएस या कोई अन्य कर ठेकेदार को देय मासिक बिलों से काटे जाएंगे और बैंक इस संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगा।</p>
23.	<p>भुगतान शर्तें</p> <p>उद्धृत शुल्क सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारियों की सेवाओं, मशीनरी/उपकरणों के रखरखाव के लिए उपयोग किए गए सामग्री की लागत को कवर करेंगे और चालू मासिक आधार पर भुगतान योग्य होंगे, जिसके लिए चालू मासिक चालान और प्रदर्शन जांच के आधार पर भुगतान किया जाएगा। भुगतान तब किया जाएगा जब बैंक के अधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक रही हैं और सभी कर/कर आदि को घटाकर। भुगतान चालू मासिक आधार पर किया जाएगा, जो ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मचारियों द्वारा वास्तव में मनाए/संचालित शिफ्टों के आधार पर होगा और P&SO द्वारा सत्यापित उपस्थिति पत्रक और अन्य समर्थन दस्तावेजों के आधार पर होगा। बैंक किसी भी अन्य दावे को स्वीकार नहीं करेगा। ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक अपने हकदार वेतन को समय पर प्राप्त करें। इस दृष्टि से, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिलों के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ RBI बेंगलुरु में तैनात अनुबंधित कर्मचारियों के संबंध में चालू मासिक बिल जमा किए जाएंगे:</p> <p>i. चालू मासिक चालान प्रति।</p> <p>ii. चालू मासिक मजदूरी रजिस्टर [देखें नियम 78(1) (a) (i) अनुबंधित श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971], जिस पर व्यक्तिगत अनुबंधित श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।</p> <p>iii. चालू मासिक उपस्थिति रजिस्टर।</p> <p>iv. चालू मासिक ESI जमा चालान (यदि लागू हो) सहित समेकित और विवरण।</p> <p>v. चालू मासिक EPF जमा चालान, यदि लागू हो, सहित समेकित और विवरण।</p> <p>vi. बैंक को भुगतान के वितरण के बारे में पत्र।</p> <p>vii. व्यक्तिगत कर्मचारी के खाते में भुगतान के अंतरण के UTR नंबर।</p> <p>viii. अनुबंधित कर्मचारियों को किसी अन्य भुगतान (बोनस आदि) के सबूत।</p> <p>ix. विक्रेता द्वारा एक प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गई हो कि वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (XI of 1948) के अंतर्गत लागू फॉर्मों का पालन कर रहे हैं और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी लागू नियमों,</p>

	<p>EPFO, ESIC (यदि लागू हो), बोनस और श्रमिकों के रोजगार से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अधिनियम/नियमों का पालन कर रहे हैं।</p> <p>x. श्रम आयुक्त, श्रम सुविधा पोर्टल, EPFO & ESIC को 07 दिनों के भीतर (जैसे-जैसे जमा किए जाते हैं) दाखिल किए गए आवधिक रिटर्न।</p> <p>xi. बिलों में कर और GST के संबंध में दावे आवश्यक रूप से संबंधित मासिक बिल के साथ दस्तावेजी सबूत के साथ होने चाहिए। बैंक की विवेकाधीनता के अनुसार, ऐसा सबूत प्रस्तुत किए जाने तक बिल का आवश्यक हिस्सा / पूरा बिल राशि रोक दी जाएगी।</p> <p>xii. एजेंसी हर महीने के अंत में बिल जारी करेगी और बैंक सभी समर्थन दस्तावेजों के साथ पूर्ण बिल जमा करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करेगा। इस संबंध में बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल ई-मोड के माध्यम से किए जाएंगे।</p> <p>xiii. बिल जमा करने से पहले, एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि एजेंसी द्वारा तैनात व्यक्तियों का बिल की अवधि के लिए भुगतान किया गया है।</p> <p>xiv. किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में एजेंसी को इस अनुबंध की शर्तों में निर्धारित शुल्क से अधिक के लिए कोई शुल्क दावा करने का अधिकार नहीं है।</p> <p>xv. अनुबंध के दौरान GST और VDA में कोई भी भिन्नता, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा अवशोषित की जाएगी। यदि कोई बदलाव चाहिए, तो अनुबंध के नवीनीकरण के समय, यदि किया जाता है, तो चर्चा की जा सकती है।</p> <p>xvi. लेखा परीक्षा. यदि भुगतान के बाद की लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप किसी भी कार्य के लिए एजेंसी द्वारा किए गए या एजेंसी द्वारा किए गए बताए गए कार्य के संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान पाया जाता है, तो बैंक द्वारा एजेंसी से उसकी वसूली की जाएगी।</p> <p>xvii. यदि कोई अल्पभुगतान पाया जाता है, तो राशि एजेंसी को बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी।</p> <p>xviii. आउटसोर्सिंग. प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली के साथ यह पुष्टि और घोषणा करनी होगी कि कोई एजेंट, मध्यस्थ या कोई अन्य मध्यस्थ इस अनुबंध के प्रदान और प्रदर्शन से संबंधित किसी भी सेवा, वस्तु या कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, या न ही किया जाएगा। यदि बैंक बाद में इसके विपरीत पाता है, तो यह अनुबंध तुरंत रद्द करने का अधिकार रखता है।</p> <p>xix. RBI द्वारा पक्षों की क्षमता और क्षमता का मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक को इस प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को स्वीकार</p>
--	---

	<p>करने या अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना किसी कारण बताए। बैंक को सबसे कम वित्तीय आवेदन को स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं है। RBI का इस संबंध में निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p> <p>b) एक घोषणा जिसमें यह बताया गया हो कि सभी वैधानिक अधिनियमों का पालन किया गया है। घोषणा उसके पत्राच्छादन पर होगी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और बिल के साथ यह बताएगी कि “बैंक के साथ चल रहे अनुबंध के संबंध में सभी वैधानिक भुगतान सरकार को किए गए हैं और RBI स्थानों पर तैनात सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और अनुबंध के अनुसार पूर्ण वेतन भुगतान किया गया है। समय-समय पर श्रमिकों के रोजगार से संबंधित जारी किए गए सभी सरकारी नियम और दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।” बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य दस्तावेज को भी मासिक बिल/चालान के साथ जमा किया जाना चाहिए। यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी बिल के साथ जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक को बिल स्वीकार करने/भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार है। बिल जमा करने से पहले, ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार द्वारा तैनात लोगों का बिल की अवधि के लिए वेतन भुगतान किया गया है। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार को इस अनुबंध की शर्तों में निर्धारित शुल्क से अधिक के लिए कोई शुल्क दावा करने का अधिकार नहीं है। बिलों को सभी लागू वैधानिक करों, अर्थात् आयकर, GST आदि को घटाकर निपटाया जाएगा। TDS प्रमाणपत्र प्रत्येक तिमाही में बिलों से किए गए TDS कटौतियों के समर्थन में जारी किया जाएगा।</p> <p>c) बैंक को ठेकेदार के कार्यों और बिलों की लेखा परीक्षा और तकनीकी जांच करने का अधिकार होगा, जिसमें सभी समर्थन वाउचर, अमूर्त आदि शामिल होंगे, भुगतान के बाद और यदि ऐसी लेखा परीक्षा और तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप किसी भी कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान पाया जाता है जो ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत किया गया है या उसके द्वारा किया गया बताया गया है लेकिन जो वास्तव में नहीं किया गया है, तो ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक के लिए ठेकेदार से उस राशि की वसूली करना कानूनी रूप से अनुमत होगा, चाहे वह बकाया बिलों से हो, सुरक्षा जमा से हो या किसी अन्य कानूनी रूप से अनुमत तरीके से; और यदि पाया जाता है कि ठेकेदार को उसके द्वारा अनुबंध के तहत किए गए कार्य के संबंध में उसके लिए जो राशि देय थी, वह कम भुगतान की गई थी, तो बैंक द्वारा उस अल्पभुगतान की राशि ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के भुगतान की जाएगी।</p> <p>d) बैंक प्रदर्शन आधार पर सहमत राशि का भुगतान करेगा, सभी करों सहित, ठेकेदार द्वारा जमा किए गए मासिक बिलों के आधार पर। किसी भी अन्य प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी या ठेकेदार के अधिकारी के</p>
--	--

	<p>लिए बैंक के बेंगलुरु कार्यालय के दौरे के लिए कोई अलग यात्रा व्यय बैंक द्वारा नहीं दिया जाएगा। यदि लागू हो, तो TDS बैंक द्वारा काटा जाएगा।</p> <p>यदि किसी भी वैधानिक भुगतानों के असंपादन के संबंध में कोई शिकायत होती है, तो उसे बिल से रोक दिया जाएगा, बैंक के अनुबंध को समाप्त करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना।</p>
24.	<p>उच्चतरण खंड (दरों में संशोधन)</p> <p>a) मजदूरी में उच्चतरण- ठेकेदार को केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी की सूचना देते ही संशोधित मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार से अनुरोध प्राप्त होने पर, दरों (भाग II के टेंडर में दिए गए 'मूल्य बोली' में अनुभाग सं. 'A' और 'B' में बताए गए) को केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर संशोधित किया जाएगा (अर्थात् सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए हथियारों के साथ वॉच एंड वार्ड और सुरक्षा गार्ड के लिए हथियारों के बिना वॉच एंड वार्ड)। यदि पहले से दी जा रही मजदूरी संशोधित न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो तैनात सुरक्षा सुपरवाइजर / सुरक्षा गार्ड को भुगतान में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं की जाएगी।</p> <p>b) ठेकेदार का लाभ/सेवा शुल्क और वर्दी शुल्क- ठेकेदार का लाभ/सेवा शुल्क और वर्दी शुल्क घटक (भाग II के टेंडर में दिए गए 'वित्तीय बोली' में अनुभाग सं. '4' में बताए गए)।</p>
25.	<p>कार्य का उप-ठेका</p> <p>अनुबंध में शामिल सम्पूर्ण कार्य ठेकेदार द्वारा ही किए जाएंगे और अनुबंध या उसके किसी भाग/हिस्से या उसमें किसी भी हित का अंतरण नहीं किया जाएगा, और कोई भी अनुबंध ठेकेदार को अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी या कार्यों के दौरान उनकी सक्रिय निगरानी से मुक्त नहीं करेगा।</p>
26.	<p>दंड खंड</p> <p>दंड खंड अनुभाग IV (c) में विस्तार से बताए गए हैं।</p>
27.	<p>व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमा</p> <p>(a) ठेकेदार को कार्य स्थल पर कार्य शुरू होने की तारीख या उससे पहले की तारीख से प्रभावी निम्नलिखित बीमा नीतियां लेनी होंगी।</p> <p>i. ठेकेदार की सभी जोखिम नीति (CAR नीति) पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए, जिसमें आग का जोखिम भी शामिल है।</p> <p>ii. कार्य स्थल पर तैनात सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति नीति।</p> <p>iii. तीसरे पक्ष की देयता नीति - या तो एक अलग नीति के माध्यम से या CAR नीति के भीतर, और निम्नलिखित विवरण के अनुसार:-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • व्यक्तियों को चोट पहुंचने के लिए - प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये • संपत्ति को नुकसान पहुंचने के लिए - प्रति दुर्घटना 5 लाख रुपये, जिसकी सीमा <u>25 लाख रुपये</u> है। <p>(b) सभी बीमा नीतियां आरबीआई, बेंगलुरु और ठेकेदार के संयुक्त नाम में ली जाएंगी (नीति में आरबीआई, बेंगलुरु का नाम पहले आएगा) ऐसे जोखिमों के खिलाफ और कार्य शुरू होने से पहले (कार्य के आवंटन के 14 दिनों के भीतर) बैंक को ऐसी नीतियां प्रस्तुत करनी होंगी।) कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए, ठेकेदार द्वारा ली गई छाता नीति स्वीकार्य नहीं होगी।</p> <p>(c) बीमा नीतियां अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के लिए मान्य रहनी चाहिए और बैंक द्वारा अनुबंध के नवीनीकरण की स्थिति में दो अतिरिक्त वर्षों तक विस्तारित की जा सकती हैं।</p> <p>(d) यदि ठेकेदार बीमा नीतियां लेने/नवीनीकरण नहीं करता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित सूचना देकर उनकी व्यवस्था करेगा और ठेकेदार को देय राशि से बीमा प्रीमियम वसूल करेगा।</p> <p>(e) यदि ठेकेदार ये नीतियां नहीं लेता है, तो बैंक को नुकसान या क्षति की लागत के साथ-साथ बैंक की विवेकाधीन दंड राशि को ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार होगा।</p> <p>(f) बीमा नीति की प्रति बैंक को <u>कार्य शुरू होने से पहले (कार्य के आवंटन के 14 दिनों के भीतर)</u> प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा बैंक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।</p> <p>(g) बैंक किसी भी चोट, दुर्घटना, अक्षमता या जीवन के नुकसान के लिए ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो कर्तव्य पर या अन्यथा हो सकती है। ऐसी चोट, दुर्घटना या जीवन के नुकसान के उपचार के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति या व्यय ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।</p> <p>(h) ठेकेदार बैंक या उसके परिसर या उसके किसी भी भाग या किसी भी फिक्सचर या फिटिंग या बैंक की संपत्ति को ठेकेदार या उसके कर्मचारियों या एजेंटों के किसी भी कृत्य, अनुपस्थिति, चूक या लापरवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।</p>
28.	<p>बैंक की संपत्ति को हानि</p> <p>कि तैनात कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बैंक की किसी भी संपत्ति को हुई कोई हानि ठेकेदार से वसूल की जाएगी और यह ठेकेदार को पूर्व सूचना देने के बाद निर्धारित की जाएगी। इस संबंध में निर्णय संबंधित अधिकारी (CA) जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक होंगे, द्वारा लिया जाएगा।</p>
29.	क्षतिपूर्ति खंड

	<p>(a) ठेकेदार बैंक और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को ठेकेदार के द्वारा निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न सभी दावों (तृतीय पक्ष के दावों सहित), कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, व्ययों, शुल्कों, सहित कानूनी व्ययों के लिए क्षतिपूर्ति देगा जो बैंक को सहना पड़ सकता है या जिनका वह वहन कर सकता है:</p> <p>i. अनुबंध अवधि के दौरान सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी कानूनों, विनियमों, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन; या</p> <p>ii. अनुबंध की शर्तों और शर्तों का अनुपालन न करना; या</p> <p>iii. ठेकेदार द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व और वारंटियों का उल्लंघन; या</p> <p>iv. ठेकेदार द्वारा किया गया लापरवाह या धोखाधड़ीपूर्ण कार्य या अनुपस्थिति; या किसी तृतीय पक्ष द्वारा ठेकेदार के कारण उत्पन्न कोई भी कारण।</p> <p>v. ठेकेदार बैंक को अपने कर्मचारियों से उत्पन्न किसी भी दावे के लिए भी क्षतिपूर्ति देगा और यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनके सेवा शर्तों या अन्य किसी विषय पर उनका बैंक के खिलाफ कोई भी दावा नहीं है और वे बैंक के साथ या बैंक के खिलाफ कोई भी औद्योगिक विवाद सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं उठाएंगे।</p> <p>vi. इसके अतिरिक्त, ठेकेदार सभी दावों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा इस समझौते के उद्देश्य के लिए उसके रोजगार में आए किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 या उसके अंतर्गत नियमों या किसी अन्य कानून या क्षतिपूर्ति के लिए नियमों के तहत किए जा सकते हैं। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और अन्य बकाया राशियों के लिए, और उनके द्वारा किए गए अनुपस्थिति/कृत्यों के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा।</p> <p>(b) ठेकेदार ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों के संबंध में बैंक को सभी दावों से क्षतिपूर्ति देगा। यदि ठेकेदार के किसी कर्मचारी द्वारा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का सामना करना ठेकेदार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि बैंक पर किसी भी प्रकार का वित्तीय या अन्य कोई दायित्व न पड़े और इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।</p>
30.	<p>गोपनीयता खंड</p> <p>(a) ठेकेदार और उसके द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के परिसर में नियुक्त कर्मचारी, बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरणों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेंगे, जो ठेकेदार को इस अनुबंध के संबंध में अपने अनुबंधित दायित्वों का पालन करते समय प्राप्त या ज्ञात हो सकते हैं। ठेकेदार अनुबंध के विवरणों को निजी और गोपनीय मानेगा, जब तक कि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करने या</p>

	<p>लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक न हो। ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य कहीं भी कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे या प्रकट नहीं करेंगे, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना। ठेकेदार बैंक को किसी भी गोपनीय जानकारी के ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा प्रकट करने के परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति/अनुबंध के समाप्ति का दावा करने और कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार रखेगा।</p> <p>(b) ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कार्रवाई करेगा ताकि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गोपनीयता के दायित्वों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके।</p> <p>(c) ठेकेदार के गोपनीयता और गोपनीयता से संबंधित दायित्व इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे, जिसका कारण भी हो।</p>
31.	<p>महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निपटान) अधिनियम, 2013</p> <p>(a) ठेकेदार “महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निपटान) अधिनियम, 2013” के प्रावधानों के पूर्ण पालन के लिए एकमात्र जिम्मेदार होगा। यदि बैंक के परिसर में ठेकेदार के अपने कर्मचारी के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जो उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।</p> <p>(b) ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा ली जाएगी।</p> <p>(c) यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल है, तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होना होगा, जैसे कि यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को मौद्रिक राहत।</p> <p>(d) ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने की जिम्मेदारी होगी।</p> <p>(e) ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने सभी कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा।</p>
32.	अनुबंध का समापन

	<p>(a) कोई भी पक्ष लिखित रूप में तीन स्पष्ट कैलेंडर महीने की अवधि का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखेगा। ठेकेदार द्वारा नोटिस अवधि की आवश्यकता को पूरा न करने की स्थिति में बैंक के विवेकाधीन PBG को लागू किया जा सकता है और उसका आंशिक/पूर्ण जब्ती हो सकती है।</p> <p>(b) इस खंड में निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अधीन, बैंक किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के बिना, लिखित रूप में नोटिस देकर निम्नलिखित मामलों में अनुबंध को समाप्त कर सकता है:</p> <p>i. यदि ठेकेदार ने अनुबंध को छोड़ दिया है।</p> <p>ii. यदि ठेकेदार ने कार्य आरंभ नहीं किया है, या बैंक के आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद किसी वैध कारण के बिना कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है या ऐसी देखभाल और प्रगति नहीं की है जो कार्य को सहमत अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम हो। iii. इस अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीज़ को निरंतर अवहेलना या अनुपालन किया है जिसके लिए ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया गया हो।</p> <p>iii. इस अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीज़ को निरंतर अवहेलना या अनुपालन किया है जिसके लिए ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया गया हो।</p>
	<p>iv. यदि ठेकेदार ने बैंक के साथ अनुबंध बुराई से या अनुचित तरीकों जैसे कार्टेलाइजेशन आदि के माध्यम से प्राप्त किया है या ईमानदारी समझौते या अनुबंध का उल्लंघन करता है।</p> <p>v. यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म है और वह "दिवालियापन और दिवालियापन कोड, 2016 द्वारा परिभाषित" किसी भी दिवालियापन की कार्रवाई करता है या दिवालिया/दिवालियापन के रूप में निर्णीत किया जाता है या एक निगमित कंपनी है जिसके खिलाफ अनिवार्य विघटन का आदेश जारी किया गया है या स्वैच्छिक रूप से विघटन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित करता है या अदालत/ट्रिब्यूनल और आधिकारिक असाइनी या लिक्विडेटर के अधीन ऐसे दिवालियापन या विघटन की कार्रवाई में, जैसा भी मामला हो, तुरंत उसे नोटिस देगा जिसमें उसे बैंक की तरफ से यह साबित करने के लिए कहा जाएगा कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करे।</p> <p>vi. यदि ठेकेदार (चाहे व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) के विरुद्ध किसी अदालत/प्राधिकरण द्वारा संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है।</p>

	<p>vii. यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत किसी भुगतान को किसी भी ठेकेदार के लेनदार द्वारा या उनके नाम पर जब्त करवाता है या ठेकेदार इस अनुबंध या अनुबंध के तहत देय या देय होने वाले किसी भुगतान को गिरवी रखता या बोझ डालता है।</p> <p>viii. यदि ठेकेदार इस अनुबंध को असाइन करता या सबलेट करता है।</p> <p>(c) तब और खंड (b) में उल्लिखित किसी भी मामले में, बैंक किसी भी पूर्व त्याग के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देने के बाद अनुबंध को समाप्त कर सकता है, लेकिन इससे बैंक के अधिकारों या ठेकेदार के दायित्वों और देयताओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा, जो पूर्ण रूप से जारी रहेंगे जैसे कि अनुबंध समाप्त नहीं किया गया हो, जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसके नाम पर निष्पादित किए गए हों। बैंक तत्पश्चात लिखित रूप में उन व्यय या हानि का निर्धारण और प्रमाणित करेगा जिसके कारण बैंक को कार्य पूरा कराने में आया है और ठेकेदार को देय राशि, यदि कोई हो, और उस राशि को प्रमाणित किया जाएगा जो तत्काल बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को भुगतान की जाएगी, जैसा भी मामला हो, और बैंक का प्रमाणपत्र पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक को PBG को जब्त करने का अधिकार भी होगा।</p>
33.	<p>ठेकेदार द्वारा अनुबंध का समापन</p> <p>यदि बैंक द्वारा देय राशि 30 दिनों तक अदा नहीं की जाती है और ठेकेदार द्वारा बैंक को लिखित नोटिस दिया गया है, जिसमें उक्त राशि के भुगतान की मांग की गई है, या यदि बैंक अनुबंध का अस्वीकार करता है, या यदि किसी न्यायालय के आदेश या किसी अन्य आदेश के तहत कार्य तीन महीने तक रुक जाते हैं, तो उक्त सभी मामलों में ठेकेदार बैंक को 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने के अधिकारी होगा, और वह बैंक से सभी किए गए कार्यों के लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार के मूल टेंडर में निर्दिष्ट शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा। हालांकि, ठेकेदार नोटिस अवधि के दौरान अनुबंध के दायित्वों का निर्वहन जारी रखेगा, जब तक कि बैंक द्वारा इसकी छूट न दी जाए।</p>
34.	<p>ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध का समापन</p> <p>इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपाय के बिना किसी प्रकार की क्षति के, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति/एकल स्वामित्व वाला है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बैंक को अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा और ऐसे समापन और ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा।</p>
35.	<p>बलात्कार की स्थितियां</p> <p>(a) इस दस्तावेज में अन्य किसी बात के बावजूद, यदि किसी पक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन में देरी उसके युक्तिसंगत नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण होती है, जिसमें सरकारों के कार्य, प्राकृतिक आपदाएं, हड़तालें, किसी क्षेत्र में दंगे, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) शामिल हैं, तो कोई भी पक्ष इस देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, ऐसी किसी घटना के घटित होने पर, ठेकेदार को तुरंत</p>

	<p>बैंक को लिखित रूप से इसकी सूचना देनी होगी। ठेकेदार का दायित्व है कि वह बलात्कार की घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।</p> <p>(b) ऐसी घटना के कारण, कोई भी पक्ष अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।</p> <p>(c) घटना समाप्त होने या समाप्त हो जाने के बाद जैसे ही संभव हो, अनुबंध के तहत दायित्वों का पुनरारंभ किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी दायित्व का निर्वहन ऐसी घटना के कारण समझौते से सहमत अवधि से अधिक समय तक रुक जाता है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से अनुबंध को समाप्त कर सकता है।</p>
36.	<p>विवादों का निपटारा एवं मध्यस्थता</p> <p>(i) अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न सभी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से पक्षों के बीच चर्चा के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो इंडीग्रिटी पैक्ट लागू होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, वे पहले स्वतंत्र बाह्य निगरानी समिति के पैनल के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा करने का प्रयास कर सकते हैं। एक विशिष्ट विवाद निपटारे के लिए अधिकतम पांच बैठकें आयोजित की जाएंगी। विवाद निपटारे पर आने वाले शुल्क/व्यय को दोनों पक्षों द्वारा, अर्थात् बैंक और ठेकेदार द्वारा समान रूप से बांटा जाएगा।</p> <p>(ii) यदि स्वतंत्र बाह्य निगरानी समिति के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद अनसुलझा रहता है, तो बैंक आगे की कार्रवाई कर सकता है।</p> <p>(iii) अनसुलझा विवाद तब दोनों पक्षों द्वारा सहमत एकल मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही अधिनियम, 1996 की धारा 29बी में निर्धारित 'त्वरित प्रक्रिया' के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो। नियुक्त मध्यस्थ द्वारा दिया गया आदेश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान ठेकेदार को इस अनुबंध के तहत अपने अनुबंधित दायित्व का निर्वहन जारी रखना चाहिए, जब तक कि बैंक द्वारा छूट न दी जाए। यह अनुबंध केवल बेंगलुरु की अदालतों की अनन्य अधिकारिता के अधीन है।</p> <p>(iv) जहां अनुबंध में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, वहां कार्य के दायरे, शर्तों एवं प्रावधानों के अर्थ, सेवा की गुणवत्ता या अनुबंध से संबंधित किसी भी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले या बात के संबंध में उत्पन्न सभी प्रश्न एवं विवाद, चाहे वे अनुबंध की प्रगति के दौरान उत्पन्न हों या उसके पूरा होने के बाद, क्षेत्रीय निदेशक के एकल मध्यस्थता या क्षेत्रीय निदेशक द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल मध्यस्थता को संदर्भित किए जाएंगे जो ऐसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो। उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए अनुबंध में सामान्य प्रबंधक (एचआरएमडी) का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक बताया गया है। यदि नियुक्त मध्यस्थ आरबीआई का कर्मचारी है और उसे उन मामलों से संबंधित कार्य करना पड़ता है जिनसे अनुबंध संबंधित है और उसने अपने कर्तव्यों के दौरान विवाद या अंतर के सभी या</p>

	<p>किसी भी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है, वह अपने पद से स्थानांतरित हो जाता है, पद खाली कर देता है या किसी भी कारण से कार्य नहीं कर सकता, तो ऐसे स्थानांतरण, पद खाली होने या कार्य न करने के समय उक्त क्षेत्रीय निदेशक अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े गए बिंदु से संदर्भ को जारी रखने का अधिकार रखेगा।</p> <p>(v) उपर्युक्त के अधीन, अधिनियम, 1996 के प्रावधान या उसके किसी सांविधानिक संशोधन या पुनर्प्रवर्तन और उसके तहत बनाए गए नियम तथा वर्तमान में लागू नियम इस खंड के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू होंगे।</p> <p>(vi) यह अनुबंध की एक शर्त है कि मध्यस्थता में शामिल पक्ष इस खंड के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने वाले विवाद या विवादों के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा की गई राशि या राशियां निर्दिष्ट करेगा।</p> <p>(vii) मध्यस्थ(गण) पक्षों की सहमति से समय-समय पर आदेश देने और प्रकाशित करने के लिए समय को बढ़ा सकते हैं।</p> <p>(viii) अनुबंध के तहत कार्य, यदि यह युक्तिसंगत रूप से संभव हो, तो मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान जारी रहेगा और ऐसी कार्यवाही के कारण एजेंसी को देय कोई भी भुगतान रोका नहीं जाएगा।</p> <p>(ix) मध्यस्थ को उस तारीख से माना जाएगा जब वह दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके पहली सुनवाई की तारीख निर्धारित करता है।</p> <p>(x) मध्यस्थ प्रत्येक संदर्भित विवाद या अंतर के संबंध में अलग-अलग आदेश देगा।</p> <p>(xi) मध्यस्थता का स्थान वह स्थान होगा जो मध्यस्थ अपनी एकमात्र विवेकशक्ति से निर्धारित करेगा।</p> <p>(xii) मध्यस्थ का आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी होगा। एजेंसी और आरबीआई के बीच किसी भी अनसुलझे विवाद की स्थिति में, यह कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु की अधिकारिता के अंतर्गत आएगा।</p>
37.	<p>अदालत की अधिकारिता</p> <p>यह अनुबंध कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु की अधिकारिता के अधीन है।</p>

38.	यदि इस निविदा दस्तावेज के हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी अस्पष्टता, असंगति या व्याख्या के बीच विवाद होता है, तो अंग्रेजी संस्करण प्रभावी होगा और सभी उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक माना जाएगा। सभी शर्तें, प्रावधान और दायित्व अंग्रेजी पाठ के अनुसार व्याख्या किए जाएंगे, और कानूनी या अनुबंधित व्याख्या के लिए हिंदी अनुवाद पर कोई भरोसा नहीं किया जाएगा।
39.	यह निविदा अनुबंध का हिस्सा होगी।

मैं/हमने ऊपर उल्लिखित सामान्य जानकारी, कार्य का क्षेत्र और शर्तें एवं नियम पढ़ लिए हैं और यदि अनुबंध प्रदान किया जाता है, तो उसे निष्पादित करने के लिए उन्हें स्वीकार करते हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि

मुहर

(कृपया सभी पृष्ठों के निचले हिस्से पर हस्ताक्षर करें)

दंड धारा

भुगतान रोकना: बैंक इस समझौते के अनुसार एजेंसी के दायित्वों के उल्लंघन की स्थिति में, जब वह उचित रूप से मानता है, तो भुगतान को रोक सकता है। यदि उल्लंघन ऐसा है कि उसे ठीक किया जा सकता है, तो एजेंसी को दोष को दूर करने के लिए 07 (सात) दिनों की नोटिस दी जाएगी। एक बार जब सेवा प्रदाता ने दोष को दूर कर दिया है, तो बैंक इस कारण से रोके गए राशि का भुगतान करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

भुगतान से कटौती: बैंक एजेंसी के बिल से उन राशियों की कटौती कर सकता है जो उल्लिखित सेवा स्तर समझौता (SLA), लागत या दावे, नुकसान, क्षति, एजेंसी द्वारा किए गए दोषपूर्ण सेवाओं आदि के आधार पर दंड के रूप में हैं, जो बैंक को सीधे नुकसान ('प्रत्यक्ष क्षति') पहुंचती हैं जो एजेंसी की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि एजेंसी उल्लिखित उल्लंघन को दूर नहीं करती है, तो बैंक के पास किसी अतिरिक्त नोटिस के बिना एजेंसी के बिल से ऐसी राशियों की कटौती करने का विवेक है, और यह अधिकार इस समझौते के तहत बैंक के अन्य सभी अधिकारों के अतिरिक्त है।

संचालनात्मक कार्य दंड: संचालनात्मक आवश्यकताओं तक सीमित कार्य दंड निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	सेवा स्तर समझौता (SLA)	विफलता सहन स्तर	जोखिम	प्रति माह जुर्माना
	सामान्य			
1	निर्धारित क्षेत्र में चोरी/लूट की नियमित निगरानी न करना।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
2	कर्मचारी कार्य/पद से अनुपस्थित नहीं होंगे।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
3	घटनाओं की तुरंत सुरक्षा प्रबंधक को सूचना न देना	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
4	कर्मचारी कार्य के दौरान सोएंगे नहीं, सभी समय सजग रहेंगे	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
5	कर्मचारी द्वारा किसी कर्मचारी/आगंतुक आदि के साथ अनुचित व्यवहार।	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%।

6	अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा पालतू बदलाव के दौरान कर्तव्यों के हस्तांतरण और SOPs के अनुसरण में विफलता	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%।
7	बैंक संपत्ति/उपकरणों का दुरुपयोग।	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%।
8	एजेंसी द्वारा बैंक द्वारा अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे	प्रति माह सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम एक प्रशिक्षण सत्र - (शून्य)	निम्न	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%।
9	प्रत्येक पालतू में 24 घंटे चक्कर लगाना	प्रति घंटे न्यूनतम 1 बार दिन/रात में चक्कर लगाना - (शून्य)	निम्न	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%।
10	सुरक्षा पर्यवेक्षक/पालतू IC टीम के प्रदर्शन और अनुशासन को सभी समय बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे	शून्य	निम्न	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%।
11	हर समय स्मार्ट वेशभूषा, अच्छा यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड।	शून्य	निम्न	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2%।

प्रति माह दंड

S L A	उच्च जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं।
	मध्यम जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं।
	निम्न पंक्ति	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% और कुल बिल मूल्य के 10% से अधिक नहीं।

कार्यान्वयन: उपरोक्त उल्लिखित SLA की निगरानी शिष्टाचार एवं सुरक्षा सेल द्वारा की जाएगी और यदि कोई दंड हो तो उसकी प्रक्रिया की जाएगी।

कार्य दंड (वैधानिक अनुपालन): वैधानिक अनुपालन को सीमित करने वाले कार्य दंड निम्नलिखित हैं:

क्रम सं	वैधानिक आवश्यकताएं	विफलता सहिष्णुता स्तर	जोखिम	प्रति माह दंड
---------	--------------------	-----------------------	-------	---------------

1	8 घंटे प्रति दिन की अधिकतम सेवा घंटों के वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
2	एक दिन में 8 घंटे से अधिक कर्मचारी की तैनाती करना।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
3	प्रत्येक शिफ्ट में 100% सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती न करना।	दैनिक शिफ्ट आधार पर 98% से कम उपस्थिति नहीं होनी चाहिए - (शून्य)	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
4	उच्च ग्रेड के कर्मचारियों को निम्न ग्रेड में तैनात नहीं करना चाहिए।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
5	लागू कानूनों का पालन न करना	शून्य	मध्यम	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%।
6	सप्ताहिक अवकाश न देकर कर्मचारी / कर्मचारियों की तैनाती करना।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
7	उपस्थिति रजिस्टर इस तरह से बनाए रखा जाना चाहिए कि दैनिक ट्रैकर कर्मचारी के लिए संभव हो।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
8	वैधानिक आवश्यकता दस्तावेजों को एक पंजी के रूप में रखा जाना चाहिए, जैसे - वेतन / अवकाश / साप्ताहिक अवकाश / उपस्थिति।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।

				3%।
9	विक्रेता अनुपालन ऑडिट में भाग लेना।	शून्य	उच्च	बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3%।
10	वैधानिक आवश्यकता - दस्तावेजों को समय पर प्रदान करना चाहिए, जैसे - PF/ESI	प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले	मध्यम	
11	प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान न करना	हर महीने 10 तारीख या उससे पहले	मध्यम	बिल के मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3%।

प्रति माह जुर्माना

एसएलए	उच्च जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.5% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं।
	मध्यम जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.3% से अधिकतम 3% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं।
	निम्न जोखिम	मासिक बिल मूल्य का न्यूनतम 0.2% से अधिकतम 2% तक और कुल बिल मूल्य के 5% से अधिक नहीं।

कार्यान्वयन: उपरोक्त एसएलए की निगरानी शिष्टाचार एवं सुरक्षा सेल द्वारा की जाएगी और यदि कोई जुर्माना हो तो उसे संसाधित किया जाएगा।

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ा और समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

स्थान: टेंडर दाता के हस्ताक्षर और मुहर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख:

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय अपलोड करनी अनिवार्य है

एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से।

तकनीकी बोली का फॉर्म-1

(टेंडरदाता के लेटरहेड पर देना है)

क्षेत्रीय निदेशक

एचआरएमडी,

भारतीय रिजर्व बैंक

बेंगलुरु 560001

ई-टेंडर वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए सुरक्षा सेवा कर्मियों की आपूर्ति

(सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) आरबीआई बेंगलुरु और बैंक के कर्मचारी कॉलोनियों में बेंगलुरु में।

उपरोक्त के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के संपूर्ण सहमति के साथ:

(a) मैं/हम सत्यापित करते हैं कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले, मैं/हमने टेंडर दस्तावेज में निर्धारित सभी शर्तों और निर्देशों को पढ़ा और पूरी तरह से समझा है और उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं।

(b) मैं/हम समझते हैं कि न्यूनतम मजदूरी केंद्र सरकार/अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार दी जानी चाहिए। इसके अलावा, मैं/हम यह भी समझते हैं कि विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित सभी वैधानिक भुगतान जैसे ईपीएफ/ईएसआई/बोनस/ग्रेच्युटी, छुट्टी, रिलीविंग शुल्क, यूनिफॉर्म आदि भी मुझे/हमें देने होंगे।

(c) मैं/हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी एजेंसी द्वारा बैंक की संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

(d) ईमानदारी धन जमा (ईएमडी) ₹7,10,991/- (सात लाख दस हजार नौ सौ इक्यानवे रुपये मात्र) ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया गया है, लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक,

बेंगलुरु आईएफएससी: RBIS0BGPA01, खाता संख्या: 8692299

- (e) अनुबंध के आवंटन के बाद, मैं/हम सुरक्षा जमा के बदले में 5% के बराबर का प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे जो अनुबंध की पूरी अवधि तक वैध रहेगा।
- (f) मैं/हम यह भी समझते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक को किसी भी कारण बताए बिना मेरी/हमारी टेंडर बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और उनका निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
- (g) मैं/हमारे पास कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा/जीएसटी आदि के संबंध में वैध पंजीकरण है, जिसकी प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं।
- (h) मैं/हम सहमत हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि हमारी बोली सफल होती है और स्वीकार की जाती है, तो हम बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेंगे।
- (i) मैं/हम यह भी समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं या यदि मेरे/हमारे द्वारा शर्तों और नियमों का उल्लंघन होता है या यदि मेरे/हमारे द्वारा कार्य को उचित रूप से पूरा नहीं किया जाता है, तो सुरक्षा जमा के बदले में बैंक गारंटी को लागू किया जाएगा।

आपका विश्वासी,

तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम और मुहर)

स्थान:

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।

तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय बोलियों के संबंध में सामान्य निर्देश (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ें) (स्कैन करके अपलोड करना है)

1. भाग- I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु और बैंक के बेंगलुरु में कर्मचारी कॉलोनियों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) की आपूर्ति के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से दो भागों में टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अनुमानित लागत ₹3.55 करोड़ प्रति वर्ष जीएसटी सहित है।

1.2 आउटसोर्सिंग एजेंसी (जिसे आगे "एजेंसी" कहा जाएगा) अपने रोजगार में शिक्षित, यूनिफॉर्म वाले पुरुष/महिला सुरक्षा कर्मी प्रदान करेगी, और भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) के विभिन्न परिसरों की सुरक्षा प्रदान करेगी, जैसा कि इस दस्तावेज में दर्शाया गया है; और उक्त परिसरों की निगरानी और निरीक्षण करेगी।

1.3 एजेंसी निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005

(केंद्रीय अधिनियम 29 वर्ष 2005) (पीएसएआरए-2005) और कर्नाटक निजी सुरक्षा एजेंसियों नियम, 2008 (केपीएसएआर-2008) का पालन करेगी और उल्लिखित अधिनियमों और नियमों के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगी।

1.4 एजेंसी को श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ अनुबंध श्रमिक (रजिस्ट्रेशन एवं अनुज्ञा) अधिनियम 1970 और बेंगलुरु कार्य अनुबंध अधिनियम (जहां लागू हो) के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

1.5 टेंडर में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड। निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

क्रमांक	मापदंड	आवश्यकता
1.	पूर्व अनुभव की अवधि	<p>a) अंतिम आवेदन मांगने वाले महीने से पिछले महीने के अंत तक विमानक्षेत्र, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम, दूतावास/वाणिज्य दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में समान कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदक को अपनी ग्राहक सूची और अंतिम 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य के विवरण दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए।</p> <p>b) सुरक्षा एजेंसी को उपयुक्त सरकारी अधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक सुस्थापित संगठन होना चाहिए।</p> <p>c) एजेंसी के पास बेंगलुरु में एक कार्यालय (पंजीकृत/कॉर्पोरेट/शाखा/क्षेत्रीय/ज़ोनल/प्रतिनिधि/लियासन) होना अनिवार्य है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>
2.	प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य (योग्यता)	<p>2.1 प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य की न्यूनतम अवधि।</p> <p>(a) विमानक्षेत्र, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम, दूतावास/वाणिज्य दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से किसी एक उच्च सुरक्षा स्थापना/स्थापना में न्यूनतम तीन वर्षों तक लगातार सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना/कर चुका होना चाहिए, जिसमें कम से कम 75 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती या अनुमानित टेंडर लागत का 90% शामिल हो।</p> <p>या</p> <p>(b) विमानक्षेत्र, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम, दूतावास/वाणिज्य दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से किसी दो उच्च सुरक्षा स्थापना/स्थापना में तीन वर्षों तक लगातार एवं साथ-साथ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना/कर चुका होना चाहिए, जिसमें 40 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती या अनुमानित टेंडर लागत का 60% शामिल हो।</p> <p>या</p> <p>(c) विमानक्षेत्र, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम, दूतावास/वाणिज्य दूतावास, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक, आईटी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से किसी तीन उच्च सुरक्षा स्थापना/स्थापना में तीन वर्षों तक लगातार एवं साथ-साथ सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना/कर चुका होना चाहिए, जिसमें 30 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती या अनुमानित टेंडर लागत का 40% शामिल हो।</p>

		कृपया न्यूनतम तीन ग्राहक रिपोर्ट अपलोड करें, जो संतोषजनक पूर्णता के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में काम आएंगी (स्कैन की गई पीडीएफ प्रारूप में) (अनुबंध X के अनुसार)
3.	PSARA लाइसेंस	3.1 एजेंसी/फर्म के पास कर्नाटक राज्य के नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए, अर्थात् उप निरीक्षक जनरल ऑफ पुलिस (आंतरिक सुरक्षा विभाग), नृपाथुंगा रोड, बेंगलूर स्थित पुलिस महानिदेशक और निरीक्षक जनरल ऑफ पुलिस के कार्यालय। (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी)
4.	स्थापना का पंजीकरण प्रमाणपत्र	4.1 एजेंसी के पास कर्नाटक श्रम विभाग से कर्नाटक दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनाएं अधिनियम, 1961 के तहत स्थापना का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए। (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी)।
5.	अनुबंधित श्रम अधिनियम के तहत पंजीकरण	5.1 एजेंसी के पास कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्रालय से "अनुबंधित श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) (कर्नाटक) नियम, 1974" के तहत अनुबंधित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए। (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी)
6.	ESIC, EPFO पंजीकरण	6.1 एजेंसी को ESIC और EPFO के साथ पंजीकृत होना चाहिए। (पंजीकरण प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी)
7.	प्रशिक्षण सुविधा	7.1 कंपनी के पास अपने सुरक्षा कर्मियों को नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित पेशेवर, शारीरिक पहलुओं, अनुशासन और आचरण पर प्रशिक्षण देने के लिए उचित बुनियादी ढांचा होना चाहिए। इसके लिए एक ठीक से प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य स्कैन करके अपलोड किया जा सकता है।
8.	वार्षिक टर्नओवर	8.1 अंतिम 3 वर्षों तक, अर्थात् 31 मार्च, 2025 तक, सुरक्षा गार्ड सेवाओं के प्रदान करने से संबंधित गतिविधियों से ₹3.55 करोड़ के बराबर न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। (संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ठीक से प्रमाणित किया गया हो, अपलोड करनी होगी)
9.	सॉल्वेंसी	9.1 एजेंसी को अपने बैंकर द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, कार्य के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से, अनुमानित लागत के बराबर न्यूनतम राशि के लिए। (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी) (अनुबंध XI)

10.	विभाग का दौरा	10.1 बोलीदाता को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है और उन्हें संचालन प्रणाली से परिचित होने के लिए दौरा करने की सलाह दी जाती है। दौरे की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने टेंडर दस्तावेजों की सबमिशन से पहले विभाग का दौरा किया है और संचालन स्थितियों से अवगत है।
11.	एक बोली प्रति बोलीदाता	11.1 प्रत्येक बोलीदाता को अपने आप या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में या संघ के सदस्य के रूप में केवल एक टेंडर जमा करना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता या यदि कोई भी संयुक्त उद्यम के भागीदार या संघ के सदस्य एक से अधिक बोली में भाग लेते हैं, तो बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

1.6 कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण:

(a) कंपनी/फर्म/एजेंसी के पूर्ण विवरण, विस्तार से, जमा करने की आवश्यकता है। यदि कंपनी है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र, कंपनी का स्मरण पत्र और लेखांश, और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण जमा करने की आवश्यकता है। यदि साझेदारी फर्म है, तो साझेदारी विधि, यदि कोई हो, तो अधिकार पत्र और फर्म का गठन करने वाले सभी साझेदारों के विवरण; और यदि एजेंसी या स्वामित्व है, तो उनमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण के साथ नाम/नाम और पते आदि जमा करने की आवश्यकता है (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी है)।

(b) पूर्वानुमान मापदंडों के अनुसार कार्य अनुभव के विवरण, जिसे कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जमा करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए किसी अन्य केंद्र पर कार्य करने के पिछले अनुभव के विवरण, यदि कोई हो, भी दिए जाने चाहिए (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी है)।

(c) अंतिम तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर आकलन आदेशों के साथ नवीनतम अंतिम आदेश और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ठीक से प्रमाणित किए गए व्यवसाय के निर्दिष्ट खातों के साथ बैंकों से ऋण क्षमता प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता है, जिससे अंतिम तीन वर्षों के लिए ऋण क्षमता और टर्नओवर का प्रमाण प्राप्त हो सके (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी है)।

(d) बैंकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी, जिसमें नाम, वर्तमान संपर्क/डाक पते, ईमेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर आदि, जैसे विवरण शामिल हों, जिन्हें बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके बैंकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, प्रस्तुत की जानी चाहिए (स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी है)।

1.7 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए चेकलिस्ट। ई-टेंडर जमा करते समय 'mstcecommerce' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पीडीएफ प्रारूप में मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी (प्रत्येक फाइल का आकार 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए):

(a) पिछले 3 लेखा वर्षों के लिए ऑडिट किए गए या CA प्रमाणित खातों का विवरण।

- (b) पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग के साथ दाखिल किए गए आयकर रिटर्न।
- (c) लागू कर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, जैसे PAN, GST, आदि।
- (d) संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (e) E.P.F. पंजीकरण प्रमाणपत्र और E.S.I. पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (f) मूलभूत जानकारी और योग्यता का मूल्यांकन (अनुबंध XIV के अनुसार)
- (g) पिछले अनुभव का विवरण (अनुबंध XIII के अनुसार)
- (h) बैंकों का विवरण (अनुबंध VIII के अनुसार)
- (i) बोलीदाता के बैंकों द्वारा जारी बैंकर प्रमाणपत्र (सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र), जो इस कार्य के लिए विशेष रूप से ₹3.55 करोड़ के अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए जारी किया गया हो, जिससे बोलीदाता की वित्तीय स्थिरता का संकेत मिले। (अनुबंध XI के अनुसार)
- (j) केंद्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस की प्रति।
- (k) निर्धारित प्रारूप में ग्राहक रिपोर्ट (अनुबंध X के अनुसार)।
- (l) कार्य अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज, जिन्हें कार्य आदेश, पूर्णता प्रमाणपत्र और अन्य विवरणों द्वारा समर्थित किया गया हो।
- (m) कंपनी/फर्म के मुहर के साथ टेंडर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम में अधिकार पत्र/अधिकृति।
- (n) स्वामी/निदेशकों/कार्यकारी या योग्यता का अनुभव प्रमाणपत्र।
- (o) प्रशिक्षण सुविधा के बारे में प्रमाणपत्र।
- (p) नियंत्रण अधिकारी से वैध PSARA लाइसेंस।
- (q) तकनीकी मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट (अनुबंध IX के अनुसार)
- (r) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो बोलीदाता प्रस्तुत करना चाहता है।

1.8 आवेदन करने वाले आवेदकों को बैंक को आवश्यक योग्यता रखने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके संतुष्ट करना होगा और उनकी असफलता की स्थिति में, बैंक के पास उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार है।

1.9 इच्छुक टेंडरदाता को ₹7,10,991/- (सात लाख दस हजार नौ सौ इक्यानवे रुपये मात्र) का EMD NEFT / RTGS के माध्यम से निम्नलिखित के पक्ष में जमा करना होगा: **लाभार्थी:** रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,

बैंगलुरु IFSC: RBIS0BGPA01 (5वें और 10वें अंक अंक हैं)

खाता नंबर.: 8692299 टेंडर के दायरे में दिए गए तिथि तक या उससे पहले।

1.10 किसी भी परिस्थिति में EMD के बिना टेंडर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

1.11 यदि बोलीदाता टेंडर की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है या अनुबंध या कार्य के आवंटन में विफल रहता है, तो EMD जब्त कर लिया जाएगा।

2. भाग- II (वित्तीय बोली)।

2.1 ऑनलाइन टेंडर का भाग-II केवल फॉर्मेट I में सेवा प्रदाता के उद्धृत दरों को ही शामिल करना चाहिए (अनुबंध XV)।

2.2 टेंडर की दरें कंपनी/एजेंसी/फर्म के सभी दायित्वों को शामिल करनी चाहिए, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, ESI और EPF (यदि लागू हो) योगदान आदि। इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी कानूनों/दिशानिर्देशों का संदर्भ दिया जा सकता है। दरों में साइट पर आवश्यक सामग्री, श्रम और उपकरण/मशीनरी आदि की लागत भी शामिल होनी चाहिए। दरें केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुरूप होनी चाहिए।

2.3 वित्तीय बोली में उल्लिखित दरें अंतिम और अपरिवर्तनीय होंगी और अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी बहाने से बढ़ाई नहीं जाएंगी, इसलिए बोलीदाता अपनी दरें इस प्रकार उद्धृत करें कि भविष्य में मजदूरी में संभावित संशोधनों को ध्यान में रखा जा सके। बैंक अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार के दरों में संशोधन की मांग को स्वीकार नहीं करेगा।

2.4 न्यूनतम मजदूरी (भारत सरकार के अधिसूचना के अनुसार), EPF, ESI, बोनस आदि जैसे सांविधानिक दायित्वों के अनुरूप नहीं होने वाली वित्तीय बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

2.5 कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा जमा किए गए बिलों से सभी सांविधानिक कटौतियां, जहां लागू हो, की जाएंगी। इसलिए वित्तीय बोली सभी कुछ शामिल होनी चाहिए।

2.6 वित्तीय बोली में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा तैनात कर्मियों को प्रदान की जाने वाली यूनिफॉर्म और पहचान पत्र और सुरक्षात्मक उपकरण की लागत भी शामिल होनी चाहिए।

2.7 टेंडर की जांच, मूल्यांकन, तुलना और योग्यता में सहायता के लिए, बैंक अपने विवेक से किसी भी बोलीदाता से उसकी बोली के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसके लिए उचित समय दिया जाएगा। यदि बैंक के लिए बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण उचित नहीं है, तो उसे विचार नहीं किया

जाएगा। बैंक का स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होनी चाहिए। बोली के मूल्य या सार के किसी भी परिवर्तन की मांग, प्रस्ताव या अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.8 यदि कोई बोलीदाता बैंक के स्पष्टीकरण के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी बोली के स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी बोली अस्वीकार की जा सकती है।

3. **टेंडर का खुलना।** टेंडर के खुलने के लिए अनुभाग-I में निर्धारित समय सीमा के अनुसार।

3.1 टेंडर की वैधता: टेंडर के साथ-साथ कीमतें शुरू में भाग-I के खुलने की तिथि से 3 महीने की अवधि तक वैध रहेंगी, जिसे बोलीदाता और बैंक के बीच लिखित रूप से सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है, और बोलीदाता इस अवधि के दौरान टेंडर को रद्द या वापस नहीं ले सकता है या उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है।

3.2 टेंडर फॉर्म में निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं होने वाले टेंडर दस्तावेज तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

3.3 प्रतिबंधित बोलियां भी तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।

3.4 केवल उन बोलीदाताओं के भाग-II (वित्तीय बोली) को एक बाद की तिथि पर खोला जाएगा जो तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग-I) में योग्य होंगे, जिसके लिए योग्य बोलीदाताओं को सूचना दी जाएगी।

3.5 बैंक को सबसे कम बोली स्वीकार करने का बंधन नहीं है और वह अपने विवेक से पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी बोली को स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक को सभी बोलियों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार भी है।

नोट: सभी बोलीदाताओं को कृपया ध्यान दें कि भविष्य में यदि टेंडर में कोई संशोधन / सुधार जारी किया जाता है, तो वह RBI वेबसाइट और MSTC वेबसाइट पर उपर्युक्त दिए गए रूप में सूचित किया जाएगा और अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ा और समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

तिथि:

टेंडरदाता के हस्ताक्षर और मुहर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

स्थान:

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) को ऑनलाइन टेंडर जमा करते समय MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है।

टेंडर देने वाली कंपनी/फर्म का विवरण (टेंडरदाता के पत्राच्छादन पर देना है)

1.	कंपनी/फर्म का नाम	
2.	कंपनी का प्रकार, चाहे एकल स्वामित्व, साझेदारी आदि	
3.	कंपनी के स्वामी/साझेदारों/निदेशकों का नाम और पता	
4.	पंजीकरण (फर्म, कंपनी आदि), पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि संख्या आदि	
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और फोन नंबर एवं ईमेल पता	
6.	कार्य को संभालने के लिए कार्यालय का पता (अधिकृत अधिकारी का ईमेल आईडी सहित)	
7.	अन्य संगठनों के लिए समान सेवाएं प्रदान करने का अनुभव	वर्ष
8.	पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में अन्य संगठनों के साथ किए गए अनुबंध का कुल मूल्य	रु. रु. रु.
9.	पिछले 3 वर्षों का बैलेंस शीट प्रस्तुत करें	
10.	क्या सरकार/अर्ध-सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें	
11.	पैन नंबर (आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की प्रति)	
12.	प्रोविडेंट फंड खाता नंबर	
13.	ईएसआई पंजीकरण संख्या	
14.	अनुबंध श्रमिक (रखरखाव एवं अनुज्ञप्ति) अधिनियम के तहत लाइसेंस संख्या	

15.	क्या किसी मुकदमे में शामिल हैं	
16.	कोई विवाद (सांविधिक प्राधिकरणों सहित) लंबित हैं और कार्यवाही की अवस्था का विवरण	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम एवं मुहर सहित) तिथि:

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है।

बैंकों का विवरण

(टेंडरदाता के पत्राच्छादन पर देना है)

विवरण	बैंकर 1	बैंकर 2
बैंक का नाम, शाखा, आईएफएस कोड और पूरा डाक पता		
संपर्क व्यक्ति का नाम और पद का नाम उनके फोन नंबर और फैक्स नंबर आदि सहित		
खाते का प्रकार और खाता नंबर		
क्या एजेंसी द्वारा क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है		
बैंक के साथ एजेंसी के व्यवहार की अवधि		
कोई अन्य जानकारी जो विक्रेता अपने बैंकों के बारे में देना चाहे		
शाखा का आईएफएससी		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम एवं मुहर सहित)

तिथि:

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है।

तकनीकी मूल्यांकन के लिए चेक-लिस्ट			
क्र. सं.	मांगे गए दस्तावेज	बोलीदाता द्वारा भरना है	पीडीएफ में दस्तावेजी प्रमाण के विवरण (पृष्ठ संख्या / फाइल नाम)
1	ईमानदारी राशि (₹ 7,10,991/- की NEFT)		
2	कंपनी/फर्म/एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति, नाम, पद, पता और कार्यालय फोन नंबर। यदि बोलीदाता एक साझेदारी फर्म/निजी या सीमित कंपनी है, तो साझेदारों/निदेशकों का नाम, पद, पता और कार्यालय फोन नंबर भी (लागू होने पर साझेदारी दस्तावेज/पंजीकरण प्रमाणपत्र/एमओयू/एमओए की प्रति प्रस्तुत करें)		
3	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति।		
4	जीएसटी पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति।		
5	कंपनी/फर्म/एजेंसी के वैध पंजीकरण संख्या की स्व-प्रमाणित प्रति।		
6	अनुबंध श्रमिक (रखरखाव एवं अनुज्ञप्ति) अधिनियम 1970 के तहत लाइसेंस की स्व-प्रमाणित प्रति, जिसके लिए एजेंसी वर्तमान में कार्य कर रही है।		
7	वैध ईपीएफ पंजीकरण संख्या की स्व-प्रमाणित प्रति		
8	वैध ईएसआई पंजीकरण संख्या की स्व-प्रमाणित प्रति		

9	पिछले 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष कम से कम ₹3.55 करोड़ का औसत टर्नओवर (सुरक्षा गार्ड सेवाओं के लिए), जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो।		
10	पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए ऑडिट किए गए बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते की प्रति		
11	पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए आयकर आकलन आदेश		
12	कंपनी/फर्म के पंजीकरण की प्रति, जो अनुबंध शुरू होने की तिथि से कम से कम 12 महीने के लिए वैध हो।		
13	पिछले 5 वर्षों में समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव, जो टेंडर आमंत्रित किए जाने वाले महीने से पहले के महीने के अंत तक का हो।		
14	a. तीन समान पूर्ण कार्य, प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर या उससे अधिक हो, जिसमें 30 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं।		
15	b. दो समान पूर्ण कार्य, प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 60% के बराबर या उससे अधिक हो, जिसमें 40 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं।		
16	c. एक समान कार्य, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 90% के बराबर या उससे अधिक हो, जिसमें 75 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं।		
17	31 मार्च, 2025 तक केंद्र सरकार/राज्य सरकार विभागों/बैंकों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की कंपनियों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि को समान सेवाएं प्रदान करने का 5 वर्ष का अनुभव।		
18	कंपनी/एजेंसी/फर्म का बेंगलूर में कार्यालय का पता		
19	अन्य कोई दस्तावेज, यदि आवश्यक हो		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम एवं मुहर सहित)

तिथि:

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है।

पृष्ठ 90 में से 103

आरबीआई बेंगलुरु और बैंक के कॉलोनियों में सुरक्षा सेवा कर्मियों (सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक) को प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए ई-टेंडर

गोपनीय

सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी/एजेंसी/फर्म के प्रदर्शन के बारे में ग्राहक का प्रमाणपत्र

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक

10/3/8, नृपतुंग रोड, बेंगलूर 560001

ग्राहक का नाम और पता:-

एम/सी से प्राप्त सेवाओं का विवरण

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणियां
1	प्राप्त सेवा का प्रकार	
2	अनुबंध संख्या और तिथि	
3	अनुबंध राशि	
4	कंपनी/एजेंसी/फर्म के साथ कब से व्यवहार कर रहे हैं	
5	प्रदान किए गए कर्मचारियों की संख्या	
6	अनुबंध की शर्तों और शर्तों का पालन करने के बारे में टिप्पणियां	
7	अनुबंध की शर्तों और शर्तों का पालन न करने के लिए लगाई गई कोई जुर्माना	
8	कोई अन्य जानकारी	

तिथि:

अधि

कृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम:

कार्यालय लैंडलाइन /मोबाइल:

ईमेल पता:

स्थान:

ध्यान दें: स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है। मूल प्रतिवेदन ग्राहक के आधिकारिक पत्राच्छादन पर भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलूर - 560001 के क्षेत्रीय निदेशक को संबोधित किया जाना चाहिए।

एक अनुसूचित बैंक से बैंकर का प्रमाणपत्र का प्रारूप

(टेंडर के साथ टेंडरदाता द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए)

1. कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम:
2. कंपनी/एजेंसी/फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/निजी सीमित/एकल स्वामित्व/सार्वजनिक सीमित):
3. कंपनी/एजेंसी/फर्म के स्वामी/साझेदारों/निदेशकों का नाम:
4. बैंकर का नाम:
5. शाखा का नाम और पूरा डाक पता:
6. संपर्क व्यक्ति का नाम और पद का नाम उनके फोन नंबर और ईमेल आदि सहित:
7. खाते का प्रकार:
8. खाता संख्या:
9. बैंक शाखा का आईएफएससी:
10. पिछले 3 वर्षों में कंपनी/एजेंसी/फर्म का टर्नओवर (वर्षवार):
11. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा उठाई गई क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
12. व्यवहार:
13. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा बैंक के साथ कब से व्यवहार किया जा रहा है:
14. कोई अन्य टिप्पणियां:
15. कृपया यह भी बताएं कि क्या उपरोक्त कंपनी/एजेंसी/फर्म को ₹3.55 करोड़ प्रति वर्ष के अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए वित्तीय रूप से दृढ़ माना जाता है।

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए स्थान:

तिथि:

नोट:

म. बैंकर के प्रमाणपत्र बैंक के पत्राच्छादन पर होने चाहिए **द्वि**. यदि साझेदारी फर्म है, तो प्रमाणपत्र में बैंक के साथ दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

तृ. मूल की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय MSTC ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है।

बैंकों का विवरण

	बैंकर 1	बैंकर 2
शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता *		
संपर्क व्यक्ति का नाम और पद का नाम उनके फोन नंबर और ईमेल आदि सहित *		
खाते का प्रकार और खाता नंबर *		
क्या एजेंसी द्वारा क्रेडिट सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है *		
एजेंसी द्वारा बैंकर के साथ व्यवहार की अवधि *		
कोई अन्य जानकारी जो विक्रेता अपने बैंकों के बारे में देना चाहे: *		
शाखा का आईएफएस कोड *		
एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं का विवरण		
फर्म / कंपनी का नाम *		
जीएसटीआईएन. *		
स्थायी खाता संख्या (पैन)*:		
डाक पता (पिन कोड सहित)*		
संपर्क व्यक्ति *		
टेलीफोन नंबर (लैंड)		
मोबाइल नंबर *		
ईमेल आईडी *		

बैंक खाता संख्या*		
खाते का प्रकार*		
बैंक का नाम*		
शाखा का नाम*		
आईएफएस कोड*		
* चिह्नित क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से भरना चाहिए।		

स्थान:	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
तिथि:	(नाम और मुहर सहित)

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय mstcecommerce पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है।

पिछले अनुभव का विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान समान कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव (अनुभाग-III पैरा 3 देखें) के लिए प्रत्येक पूर्ण कार्य (योग्य) का न्यूनतम मूल्य						
क्रमांक	प्रदान की गई सेवा की प्रकृति	ग्राहक का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर (सरकारी / अर्ध-सरकारी/ बैंक/ अन्य)	तैनात व्यक्तियों की संख्या		कार्य का मूल्य रुपये में	कार्य की अवधि (उदाहरण: 2024-25) दस्तावेज़ी साक्ष्य के विवरण PDF में (पृष्ठ संख्या / फ़ाइल नाम)
			सुरक्षा पर्यवेक्षक	सुरक्षा जवान (पुरुष और महिला)		

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुहर

स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) को ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय mstcecommerce पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य है।

मूलभूत जानकारी एवं पात्रता का मूल्यांकन

क्र. सं.	कंपनी/एजेंसी/फर्म के विवरण	कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा भरने योग्य विवरण	दस्तावेज़ी साक्ष्य के विवरण पीडीएफ (पृष्ठ सं./फाइल नाम)
1	कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम		
2	कंपनी का प्रकार, चाहे वह स्वामित्व, साझेदारी आदि हो। (कंपनियों एवं फर्मों के मामले में क्रमशः संविधान एवं संगठन के अनुच्छेद एवं साझेदारी समझौता, अधिकार पत्र आदि की प्रति)		
3	कंपनी के स्वामी/साझेदारों/निदेशकों का नाम एवं पता		
4	निगमन या पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति		
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं टेलीफोन नंबर एवं ईमेल पता, स्थानीय संपर्क पता/टेलीफोन नंबर		

6	उस कार्यालय का पता जिसके माध्यम से कार्य किया जाएगा (सेवा प्रदाता का ईमेल पता सहित)				
7	पिछले 5 वर्षों में अन्य संगठनों के लिए समान सेवाएं प्रदान करने का अनुभव (दस्तावेज़ी साक्ष्य के साथ) उस महीने के पिछले महीने के अंतिम दिन से (वर्तमान में चल रहे आदेश सहित)।	क्र. सं.	प्रति वर्ष तैनाती की लागत	उन संगठनों के नाम, पूरा पता एवं संपर्क नंबर जिन्हें सेवा प्रदान की गई है।	
8	पिछले 5 वर्षों में अन्य संगठनों को प्रदान की गई सुरक्षा सेवाओं का कुल मूल्य, उस महीने के पिछले महीने के अंतिम दिन से जिस महीने में यह टेंडर आमंत्रित किया गया है।	2021-22	रु.	लाख	
		2025-23	रु.	लाख	
		2023-24	रु.	लाख	
		2024-25	रु.	लाख	
		2025-26	रु.	लाख	
9	पिछले 3 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर (टर्नओवर)। सुरक्षा सेवाओं से औसत वार्षिक टर्नओवर रु. 3.55 करोड़ होना चाहिए (3 वर्षों के लिए ऑडिट किया गया बैलेंस शीट प्रस्तुत करें)	2025-23	रु.	लाख	
		2023-24	रु.	लाख	
		2024-25	रु.	लाख	
10	क्या केंद्र सरकार/राज्य सरकार विभागों/बैंकों/सार्वजनिक या				

	निजी क्षेत्र की कंपनियों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए कोई समान कार्य किया गया है और यदि हां, तो अनुलग्नक X के अनुसार विवरण प्रस्तुत करें (अनुलग्नक X में योग्य कार्यों के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र अनुलग्नक X में दिए गए अनुसार संलग्न करें)		
11	तैनाती के लिए संगठन में उपलब्ध कर्मचारियों का विवरण (31 दिसंबर, 2025 तक रोल पर कर्मचारी)		
12	क्या किसी मुकदमे में शामिल हैं		
13	किसी भी आदेश के निष्पादन में कोई नागरिक मुकदमे लंबित हैं, विवरण दें		
14	क्या कोई विवाद (सांविधिक प्राधिकरणों के साथ सहित) लंबित हैं और कार्यवाही की अवस्था के विवरण		
15	यदि नियुक्त किया जाता है, तो सेवा स्थापित करने में आवश्यक समय।		
16	पैन नंबर		
17	जीएसटी पंजीकरण नंबर		
18	ईपीएफ पंजीकरण नंबर		
19	ईएसआई पंजीकरण नंबर		

20	पीएसएआरए के तहत लाइसेंस नंबर		
21	स्थापना पंजीकरण नंबर		

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुहर

कृपया इन सभी कार्यों के समर्थनकारी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ में संलग्न करें। कृपया अनुलग्नक X के अनुसार योग्य कार्यों के न्यूनतम तीन ग्राहक रिपोर्ट संलग्न करें।

भाग - II वित्तीय बोली (प्रारूप 1)

मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार होनी चाहिए जैसा केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किया जाता है (जो भी उच्च हो) और मूल्य बोली को टेंडरदाता द्वारा केवल MSTC पोर्टल के उपयुक्त अनुभाग में ऑनलाइन भरना होगा।

इस दस्तावेज की स्कैन की गई प्रति अपलोड न करें। तकनीकी बोली के भाग के रूप में मूल्य बोली का अपलोड करने से तकनीकी बोली और मूल्य बोली दोनों की अयोग्यता होगी

उपरोक्त के अनुसार और आपके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं पूर्व-योग्यता मानदंडों से पूर्ण सहमति के साथ, मैं/हम निम्नलिखित का बयान करते हैं: -

क्र. सं.	विवरण	राशि (MSTC पर उद्धृत करना है) ('A')	प्रत्येक श्रेणी में कुल कर्मचारी ('B')	कुल राशि $C = ('A' \times 'B')$
	12 महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए बोली लगानी है, करों को छोड़कर			
1	सुरक्षा सुपरवाइजर - 12 महीने के लिए एक सुरक्षा सुपरवाइजर की कुल लागत (कर रहित) (मूल वेतन, वीडिए, ईपीएफ, अन्य लागू सांविधिक शुल्क/आवश्यकताएं, वर्दी शुल्क और रिलीवर शुल्क सहित)	A1	6	$C1 = A1 \times 6$
2	सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) - 12 महीने के लिए एक सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) की कुल लागत (कर रहित) (मूल वेतन, वीडिए, ईपीएफ, अन्य लागू सांविधिक शुल्क/आवश्यकताएं और वर्दी शुल्क और रिलीवर शुल्क सहित)	A2	62	$C2 = A2 \times 62$

3	लेडी सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) - 12 महीने के लिए एक लेडी सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार) की कुल लागत (कर रहित) (मूल वेतन, वीडिए, ईपीएफ, अन्य लागू सांविधिक शुल्क/आवश्यकताएं और वर्दी शुल्क सहित)	A3	3	$C3 = A3 \times 3$
4	सेवा शुल्क और ठेकेदार का ओवरहेड 6 सुरक्षा सुपरवाइजर के साथ रिलीवर, 62 सुरक्षा गार्ड (पुरुष) के साथ रिलीवर, और 3 लेडी सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए जिसमें बीमा, वेशभूषा और आचरण, सभी सांविधिक दायित्वों का रखरखाव, प्रशासन, पर्यवेक्षण और आवश्यक प्रशिक्षण भी शामिल है। कुल राशि के प्रतिशत के रूप में उद्धृत करना है अर्थात् यदि $A4 = x$, तो सेवा शुल्क $x\%$ कुल राशि का है अर्थात् $C4 = x\%$ of $(C1+C2+C3)$ नोट: सेवा शुल्क न्यूनतम 3% होना चाहिए	A4	1	$C4 = (A4) \% \text{ of } (C1+C2+C3)$
5	जीएसटी @ 18% of $(C1+C2+C3+C4)$ की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी			
	कुल योग			

कृपया नोट करें:

यहां भरें नहीं। दरें (स्तंभ 'A') केवल MSTC वेबसाइट पर दर्ज करनी हैं। कर और कुल राशि सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से गणना की जाएगी।

a) बैंक अनुमानित दरों, प्रचलित बाजार दरों, कच्चे माल/श्रम और अन्य आदान-प्रदान लागतों के आर्थिक सूचकांकों आदि के संबंध में दरों की उचितता स्थापित करेगा, इसलिए, बैंक अपनी विवेकाधीनता से किसी भी बोलीदाता से उद्धृत दरों के आधार पर विवरण और तर्क मांग सकता है।

b) उद्धृत दरें जीएसटी से बाहर होनी चाहिए। विशिष्ट कार्य को CGST अधिनियम की धारा 2 के खंड 119 में परिभाषित 'कार्य अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति' माना जाता है। विक्रेता बैंक को जमा किए गए चालान में GST परिषद द्वारा निर्धारित लागू जीएसटी लगा सकता है।

- c) उद्धृत दरें रिलीवर शुल्क सहित हैं। रिलीवर तैनात करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।
- d) उद्धृत दरें भारत की केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप होनी चाहिए और अन्य अनिवार्य शुल्क जैसे ईपीएफ, ईएसआई आदि संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।
- e) यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशतों में से कोई भी संबंधित सांविधिक कानूनों और बैंक की विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो वित्तीय बोली अस्वीकृत की जा सकती है।
- f) भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा जारी वस्तुओं की खरीद के लिए मैनुअल 2017 के पैराग्राफ 7.5.7 के अनुसार, एक असामान्य रूप से निम्न बोली वह है जिसमें बोली की कीमत, बोली के अन्य तत्वों के संयोजन के साथ, इतनी कम लगती है कि यह बोलीदाता की ऑफर की गई कीमत पर अनुबंध को पूरा करने की क्षमता के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है। खरीददार संस्था (आरबीआई बेंगलूर) ऐसे मामलों में बोलीदाता से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकती है, जिसमें बोली की कीमत का विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल हो, जो कि कार्य के दायरे, अनुसूची, जोखिम और जिम्मेदारियों के आवंटन और बोली दस्तावेज की अन्य आवश्यकताओं से संबंधित हो। यदि मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद, खरीददार संस्था निर्धारित करती है कि बोलीदाता ने ऑफर की गई कीमत पर अनुबंध पूरा करने की अपनी क्षमता को साबित करने में महत्वपूर्ण रूप से विफल रहा है, तो खरीददार संस्था बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।